रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 2010/वैशाख 1, 1932
No. 747] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 2010/VAISAKHA 1, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2010

का.आ. 904(अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. एस. सिस्तानी की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि संगमों नामशः नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के दिनांक 25-3-2010 के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अंतर्गत आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत गठित अधिकरण के समक्ष

नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा

के मामले में :

और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स

के मामले में :

और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत संदर्भित

मामले में :

रिपोर्ट

1. श्री नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा 3 अक्तूबर, 2009 को इस आशय की एक अधिसूचना सं. का.आ. 2523 (अ) जारी की गई थी कि केन्द्र सरकार का यह मत है कि नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा इसके विभिन्न विंगों (जिन्हें इसमें इसके बाद एन एल एफ टी कहा गया है।) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसमें इसके बाद ए टी टी एफ कहा गया है) की गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकारक हैं और यह कि ये विधिविरुद्ध संगठन है। इसके परिणामस्वरूप, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था।

2. केन्द्र सरकार का यह भी मत था कि इन दोनों संगमों की गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाने तथा इन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है और अत: इसका यह मत था कि उक्त अधिनियम की धारा 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार का यह मत था कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ :

(i) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं और इस प्रकार इन्होंने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है और लोगों में आतंक एवं हिंसा फैलाई है;

(ii) ने यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) और मणिपुर के मैतई उग्रवादी गुटों जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे संबंध स्थापित किए हैं;

(iii) हाल के पिछले कुछ समय से अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हिंसक तथा विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो कि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर है;

4. हिंसक और विधिविरुद्ध गतिविधियों के संबंध में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया:

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या;

(ख) त्रिपुरा में व्यवसाइयों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना;

(ग) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देश में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना;

(घ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करना एवं उसमें वृद्धि करना।

5. उक्त अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के प्रयोजन के लिए यह कहा गया है कि यदि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ की गतिविधियों पर तत्काल अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उन्हें निम्नलिखित कार्यों के करने का अवसर मिल जाएगा:

(i) अलगाववादी, विद्रोही, एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काडरों को संगठित करना;

(ii) भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय अखंडता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना;

(iii) अधिकाधिक नागरिकों की हत्याएं करने में संलिप्त रहना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से गैर कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना;

(v) अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी धनराशि इकट्ठी करना तथा जबरन धन ऐंठना।

6. उपर्युक्त परिस्थितियों में तथा इस अधिनियम की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राय प्रताप नाथ, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2785 (अ) के द्वारा इस अधिकरण का गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 4 (i) के अधिकार से इस अधिकरण को यह न्याय निर्णय करना है कि क्या इस अधिनियम की धारा 2 (त) के अंतर्गत परिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं।

7. अपने मामले के समर्थन में केन्द्र सरकार ने अधिकरण को एक पत्र लिखा तथा एन एल एफ टी के लक्ष्यों, उद्देश्यों और हिंसक गतिविधियों के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया।

8. इस अधिकरण द्वारा एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को 12 नवम्बर 2009 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम क्यों न घोषित किया जाए। यह निदेश दिया गया कि त्रिपुरा राज्य में और उससे बाहर इन दोनों संगमों को नोटिस की तामीली यथा उपलब्ध पतों पर तथा उन इलाकों, जहां इन संगमों की अपनी स्थापनाएं हों अथवा उनकी उपस्थिति की जानकारी हो, में प्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा भी की जाए। नोटिस का प्रकाशन अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय स्थानीय भाषा दोनों में, इलैक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया में उदघोषणाओं के द्वारा; यदि उक्त संगमों का कोई कार्यालय हो तो उसके प्रमुख स्थानों पर नोटिस चिपकाकर और जहां संभव हो वहां इन संगमों के प्रधान पदाधिकारियों, यदि कोई हों, के पते पर पंजीकृत डाक से अथवा अन्य किसी प्रकार से किया जाना था। यह भी निदेश दिया गया था कि ऐसे क्षेत्रों में जिनके बारे में यह माना जाता है कि यहां इन दोनों संगठनों की गतिविधियां साधारण रूप से चलाई जाती हैं, नोटिस और राजपत्र अधिसूचना की विषय-वस्तु के बारे में ढोल पीटकर तथा लाउडस्पीकरों के द्वारा उदघोषणा की जाए। यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 3.10.2009 की अधिसूचना की प्रति सहित उक्त नोटिस यथा संभव रूप से जिला/तहसील मुख्यालयों में जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय में तथा उपायुक्त के कार्यालय और बाजार स्थलों पर प्रदर्शित किया जाए।

9. दिनांक 12 नवम्बर, 2009 के आदेश के अनुसरण में त्रिपुरा राज्य ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2007 को इस आशय का एक शपथपत्र दायर किया कि नोटिस का पर्याप्त प्रचार करके इन संगमों को नोटिस की तामीली कर दी गई है। केन्द्र सरकार ने भी 18 दिसम्बर, 2009 को इस आशय का एक शपथपत्र दायर किया कि इन दोनों संगमों को दिनांक 12.11.2009 के आदेश में इस अधिकरण द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार तामीली कर दी गई है।

10. तामीली के बावजूद इन दोनों संगमों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तदनुसार दिनांक 17 मार्च, 2010 के एक आदेश के द्वारा एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ दोनों के बारे में एक पक्षीय रूप से कार्रवाई की गई।

11. एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी अपने मामले के समर्थन में केन्द्र सरकार ने दिनांक 18 दिसम्बर 2009 को एक शपथ-पत्र दायर किया तथा त्रिपुरा राज्य ने दिनांक 11 जनवरी, 2010 को एक शपथपत्र दायर किया। त्रिपुरा राज्य द्वारा 27 जनवरी, 2010 को एक अतिरिक्त शपथपत्र भी दायर किया गया।

12. केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए श्री आर.आर. झा., निदेशक, गृह मंत्रालय के दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 के शपथ-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि एन एल एफ टी का गठन जून, 1989 में किया गया था। फरवरी, 2001 में एन एल एफ टी के एक बड़े नेता नयनबासी जमातिया ने अपने अनुयाइयों के साथ मिलकर एन एल एफ टी (एन) के नाम से एक नए संगठन का गठन किया। एन एल एफ टी (एन) के साथ 17.12.2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके बाद एन एल एफ टी (एन) के कुछ कॉडर मुख्यधारा में शामिल हो गए। तथापि, बिस्वमोहन देबबर्मा के नेतृत्व में एन एल एफ टी के अधिकांश कॉडर हिंसा में संलिप्त बने रहे। ए टी टी एफ का गठन 1993 में किया गया और इसका नेतृत्व रंजीत देबबर्मा के हाथों में है। इन दोनों संगठनों का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करके एक पृथक देश का निर्माण करना है।

13. यह उल्लेख किया जाता है कि ए टी टी एफ तथा इसका राजनैतिक विंग, अर्थात त्रिपुरा पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट (टीपीडीएफ) त्रिपुरा के भारत में विलय के विरोध में 15 अक्तूबर को काले दिवस के रूप में मनाता रहा है तथा यह प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोहों का भी बहिष्कार करता रहा है। कुछ अन्य संगठनों के साथ, यह त्रिपुरा के भारत में विलय को 'अवैध' बताकर इसकी निंदा करता रहा है और राज्य की प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता को कायम रखने का प्रचार करता रहा है।

14. यह उल्लेख किया जाता है कि एन एल एफ टी त्रिपुरा के चार में से तीन जिलों में सक्रिय बना हुआ है। एन एल एफ टी के प्रभाव वाले क्षेत्र में उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में दूर-दराज के क्षेत्र, धलाई जिले के अम्बासा, चमानू, मानू, गंगानगर, गंडाचेरा, सलेमा और कमालपुर थाना क्षेत्र तथा पश्चिमी त्रिपुरा जिले में कल्याणपुर, चम्पाहॉट, तेलियामूरा, मुंगैकामी और श्रीनगर थाना क्षेत्र शामिल हैं। ए टी टी एफ का प्रभाव पश्चिमी त्रिपुरा जिले के सिंधई, मंडई, लेफुंगा, रानीर बाजार, तकारज़ाला, खोवई, जिरानिया, तेलियामूरा, कल्याणपुर और चम्पाहॉट क्षेत्रों तक सीमित है।

15. यह उल्लेख किया जाता है कि एन एल एफ टी के नेता बंगलादेश में शिविरों में रहते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बार-बार त्रिपुरा आते रहते हैं। इस एसोसिएशन का मुख्यालय बंगलादेश में है और इसी देश में इनके छिपने के अड्डे तथा आश्रय स्थल हैं। त्रिपुरा में अधिकांश हिंसक गतिविधियों की योजना एन एल एफ टी द्वारा बंगलादेश में बनाई गई है तथा उन्हें वहीं से अंजाम दिया गया है। यह संगठन शस्त्रों के प्रापण और प्रशिक्षण के संबंध में पूर्वोतर के अन्य विद्रोही संगठनों, विशेष रूप से नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुईवा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड के साथ गहन संबंध बनाए हुए है। यह संगठन, पाकिस्तान के आई एस आई के संपर्क में भी रहता है।

16 इसी प्रकार, ए टी टी एफ के भी बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर, छिपने के अड्डे तथा आश्रय स्थल हैं और यह, विशेष रूप से शस्त्रों के प्रापण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रयोजन के लिए पूर्वोत्तर के अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ गहन संबंध बनाए रखता है। ए टी टी एफ, त्रिपुरा में हिंसा फैलाने तथा शस्त्रों का प्रापण करने के लिए बंगलादेश के भू-भाग का भी प्रयोग करता रहा है। यह संगठन पाकिस्तान के आई एस आई से भी संपर्क बनाए हुए है।

17 शपथपत्र में आगे यह उल्लेख किया गया है कि राज्य के 40 पुलिस थानों (34 पुलिस थानों को पूर्णत: और 6 पुलिस थानों को आंशिक रूप से) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को त्रिपुरा राज्य द्वारा, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशान्त क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है और कुछ समय से इन दोनों संगठनों को, विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप

(निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत विधि-विरुद्ध संगम घोषत किए जाने के बावजूद, इन दोनों संगठनों द्वारा हिंसा तथा जबरन धन वसूली की गतिविधियां जारी रही हैं।

18 यह उल्लेख किया जाता है कि गैर-जन जातीय लोगों पर हमलों से जन जातीय लोगों तथा बंगाली लोगों के बीच अक्सर नृजातीय तनाव पैदा हुआ है कि जिसके शिकार निर्दोष लोग हुए हैं जिससे राज्य में आदिवासी तथा गैर-आदिवासी लोगों के बीच बड़ी खाई आ गई है जिसके कारण तनावपूर्ण नृजातीय स्थिति पैदा हो गई है। यह उल्लेख किया जाता है कि हाल ही में मुख्य रूप से सुरक्षा बल तथा आदिवासी लोग एन एल एफ टी की हिंसा के शिकार हुए हैं तथा काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्याएं की गई हैं और जबरन धन वसूली, लूटपाट, अपहरण, व्यपहरण आदि की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। दिसम्बर, 2008 माह के दौरान इस संगठन ने चार मौकों पर सीमा पर बाड़ लगा रहे मजदूरों की सुरक्षा में लगे सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर हमले किए। इन हमलों में सीमा सुरक्षा बल के 3 कार्मिकों सहित 5 व्यक्ति मारे गए और 3 सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 5 व्यक्ति घायल हुए। इस संगठन के आय का प्रमुख स्रोत, जबरन धन वसूली, लूटपाट तथा फिरौती के लिए व्यपहरण/ अपहरण है। यह संगठन, 'राजस्व एवं कर विभाग, त्विपुरा राजशाही सरकार' के नाम से "कर नोटिस" भी जारी करता रहा है और इस उद्देश्य से सीमा पर बाड़ लगाने संबंधी परियोजना में शामिल कंपनियों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम -2005 के लाभार्थियों को निशाना बनाता रहा है। संगठन द्वारा की जाने वाली हिंसा मुख्यत: बडी धनराशि इकट्ठी करने की आवश्यकता से प्रेरित होती है जिसका इस्तेमाल, शस्त्रों और गोला-बारूदों की खरीद, बंगलादेश में अपने नेताओं/काडरों के रहने और ठहरने, प्रशिक्षण शिविरों को चलाने तथा संगठन के दैनिक खर्चे को पूरा करने में किया जाता है।

19 जहां तक ए टी टी एफ का संबंध है तो यह उल्लेख किया जाता है कि यह संगठन, विचारधारा के नाम पर व्यावसायियों तथा सरकारी कर्मचारियों से जबरन धन वसूली में संलिप्त है तथा फिरौती के लिए अगवा किए जाने का भी सहारा ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ए टी टी एफ द्वारा की जाने वाली हिंसा में उल्लेखनीय कमी देखी गई है जिसका मुख्य कारण, उसके काडरों का, संगठन के कार्य करने के तौर-तरीके, अपने नेताओं के अक्खड़ रवैये के कारण मोहभंग होना तथा हिंसा के खिलाफ़ व्यापक जनमत होना रहा है परन्तु संगठन ने

अपनी मारक क्षमता बरकरार रखी हुई है जैसा कि संगठन द्वारा 1-10-2008 को किए गए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों (आई ई डी) से प्रतीत होता है जिसमें 74 व्यक्ति जलने के शिकार हुए थे। संगठन बात-चीत के प्रति भी अपनी हठधर्मिता यह कहते हुए बनाए हुए है कि वह बात-चीत में तभी भाग लेगा जब बात-चीत, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि की उपस्थिति में 'संप्रभुता' के मुद्दे पर होगी।

20 अभिसाक्षी ने अपने शपथपत्र के साथ एक अनुलग्नक भी दायर किया है जिसमें वर्ष 2007, 2008 और 2009 (31 जुलाई तक) में एन एल एफ टी और ए टी टी एफ द्वारा की गई कुछ घटनाओं के विवरण दिए गए हैं। इन घटनाओं/ विवरणों का उल्लेख त्रिपुरा राज्य द्वारा दायर दस्तावेज़ों में भी किया गया है जिनका निपटान उचित स्तर पर किया जाएगा।

21 त्रिपुरा राज्य ने भी एक शपथपत्र दायर किया है और घोषणा के समर्थन में 14 गवाहों को प्रस्तुत किया है।

22. त्रिपुरा राज्य की ओर से दायर शपथपत्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है :-

क. एन एल एफ टी के संविधान की प्रति, ई एक्स. पी-8/गवाह-1 (कौली)।

ख. ए टी टी एफ के संविधान की प्रति, ई एक्स. पी-8/गवाह-2 (कौली)।

ग. एन एल एफ टी की अगुवाई में त्विपुरा राजशाही सरकार द्वारा जारी कर नोटिस की प्रति, ई एक्स. पी-8/गवाह-4

घ. एन एल एफ टी की अगुवाई में त्विपुरा राजशाही सरकार द्वारा जारी कर परिपत्र की प्रति, ई एक्स. पी-8/गवाह -3

ड. बंगलादेश में स्थित एन एल एफ टी और ए टी टी एफ के उग्रवादी शिविरों की सूची, ई एक्स. पी-6/गवाह-

च. एफ आई आर की प्रमाणित प्रतियों ई एक्स. पी-3/गवाह-1 (कौली) सहित वर्ष 2008 और 2009 के दौरान एन एल एफ टी और ए टी टी एफ द्वारा किए गए घिनौने अपराधों की सूची, ई एक्स पी-3/गवाह-1

छ. वर्ष 2008 और 2009 के दौरान उक्त दोनों संगठनों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों में मारे गए/घायल हुए सुरक्षा कार्मिक और सिविलियनों से जुड़े आंकड़े।

ज. गिरफ्तार/आत्मसमर्पण कर चुके आंतकवादियों की पूछ-ताछ रिपोर्टों की प्रतियां, ई एक्स. पी-6/गवाह-2 (कौली) और ई एक्स. पी-6/गवाह-3 (कौली)।

23 त्रिपुरा राज्य ने एक अतिरिक्त शपथपत्र के माध्यम से 1-10-2008 को अगरतला टाउन में हुए श्रंखलाबद्ध विस्फोटों के संबंध में पूर्वी अगरतला (पश्चिमी त्रिपुरा जिला) में दर्ज दिनांक 1-10-2008 की एफ आई आर सं. 2008 का 157 में दायर आरोप पत्र, रिकार्ड के लिए रखा है, ई एक्स. पी-3/गवाह-2 (कौली)। अतिरिक्त शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि ए टी टी एफ उग्रवादियों ने 1-10-2008 को अगरतला टाउन में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट किए और इस प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के उक्त हिंसक क्रियाकलापों के कारण काफी लोग मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए।

24 त्रिपुरा राज्य ने निम्नलिखित 14 गवाह प्रस्तुत किए हैं :-

1) श्री शांतनु दास, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, पश्चिमी त्रिपुरा जिला।

2) श्री बृजेश पाण्डेय, जिला मजिस्ट्रेट, धलाई जिला।

3) श्री के.वी. श्रीजेश, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी त्रिपुरा जिला।

4) श्री लालमिंगा डारलांग, पुलिस अधीक्षक, उत्तरी त्रिपुरा जिला।

5) श्री गोपाल कृष्ण राव, पुलिस अधीक्षक, धलाई जिला।

6) श्री जी. श्रीनिवासराव, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा त्रिपुरा।

7) श्री हरि मोहन दास, पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा।

8) श्री धीरेन्द्र चन्द्र दास, पुलिस अधीक्षक, सी आई डी, त्रिपुरा।

9) श्री रतन मजुमदार, उप पुलिस अधीक्षक, त्रिपुरा।

10) श्री कमल कृष्ण कोलई, प्रभारी अधिकारी, पुलिस थाना मुंगईकामी, पश्चिमी त्रिपुरा जिला।

11) श्री अमेन्दर देब बर्मा, प्रभारी अधिकारी, पुलिस थाना माणिकपुर, धलाई जिला।

12) श्री रविन्द्र प्रताप सिंह, निरीक्षक 'बी' कंपनी, 77 बटालियन सीमा सुरक्षा बल, पश्चिमी त्रिपुरा।

13) श्री देबव्रत दास, सेक्शन इंजीनियर, एन.एफ. रेलवे, असम।

14) श्री सारदेन्दु चौधरी, उप सचिव (गृह), त्रिपुरा सरकार।

25 गवाह सं.1 से 13 ने अलग-अलग शपथपत्र दायर किए हैं और इस अधिकरण के समक्ष 17-3-2010 और 18-3-2010 को बयान देने के अतिरिक्त, साक्ष्य के तौर पर, अपना-अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा दिए गए बयानों का सार निम्नानुसार है:-

अभियोजन गवाह-1, जो पश्चिमी त्रिपुरा जिले के जिला मजिस्ट्रेट पद पर कार्यरत् हैं, ने बयान दिया कि उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों के अंतर्गत पांच स्थानीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों और तीन स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा दिनांक 12-11-2009 को कारण बताओ नोटिस प्रकाशित किया गया। मूल समाचार-पत्रों को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उक्त की प्रतियां रिकार्ड हेतु ई एक्स. पी-1/गवाह-2(कौली) के रूप में रखी गईं हैं। उन्होंने आगे यह बयान दिया कि आकाशवाणी, अगरतला और दूरदर्शन, अगरतला के माध्यम से कारण बताओ नोटिस का व्यापक प्रचार किया गया। संबंधित विभाग द्वारा उक्त की पुष्टि किए जाने को ई एक्स.पी-1/ गवाह-3 (कौली) के रूप में रिकार्ड के लिए रखा गया है। नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर के माध्यम से त्रिपुरा राज्य की अधिकारिक वेबसाइट पर भी कारण बताओ नोटिस प्रदर्शित किया गया। इस वेबसाईट की प्रिंट प्रति को भी दायर किया है और ई एक्स. पी-1/गवाह-4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अधिकरण के समक्ष अपना बयान देते समय अभियोजन गवाह-1 ने कहा कि उन्हें अपनी ड्यूटियों के निर्वहन के दौरान विकास से जुड़ी गतिविधियों का जायज़ा लेने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का दौरा करना होता है। उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 16 ब्लॉक हैं जिनमें 400 गांव सम्मिलित हैं। क्षेत्र के लोगों से बात-चीत करने के दौरान उन्हें पता चला कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ तथा उसके गुटों के सदस्य, भारत संघ से त्रिपुरा को स्वतंत्र करके एक स्वतंत्र 'बोरोकलैंड त्रिपुरा' की स्थापना के अपने घोषित उद्देश्य को हासिल करने के प्रयोजन से क्षेत्र में विध्वंसक क्रिया-कलापों में संलिप्त हैं तथा इसके लिए उत्तरदायी हैं। पिछले गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन संगठनों ने बहिष्कार का आह्वान किया था और अंदरूनी क्षेत्रों में लोगों को इन समारोहों में भाग लेने से रोकने के लिए काले झंडे लहराए।

अभियोजन गवाह-2, जिला मजिस्ट्रेट, धलाई जिला ने बयान दिया कि इन संगठनों पर पहली बार प्रतिबंध वर्ष 1997 में लगाया गया था। चूंकि ये संगठन विध्वंसक और हिंसक क्रिया-कलापों में लगातार संलिप्त रहे हैं इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया रखा गया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की प्रतियां प्रस्तुत की जिनमें दोनों संगठनों को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया गया था। वर्ष 1997, 1999, 2005, 2007 और 2009 में जारी की गई ऐसी पांच अधिसूचनाओं की प्रतियां रिकार्ड के लिए प्रस्तुत की गई हैं और इन्हें ई एक्स. पी-2/गवाह-1 (कौली) के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने यह भी बयान दिया कि स्थानीय लोगों के साथ-साथ गुप्त मुखबिरों से बात-चीत के बाद उन्हें पता चला कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ तथा उनके गुटों के सदस्य, भारत संघ से त्रिपुरा को स्वतंत्र करके एक स्वतंत्र 'बोरोकलैंड त्रिपुरा' की स्थापना के अपने घोषित उद्देश्य को हासिल करने के प्रयोजन से क्षेत्र में विध्वसंक क्रिया-कलापों में संलिप्त हैं तथा इसके लिए उत्तरदायी हैं। पिछले गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन संगठनों ने बहिष्कार का आह्वान किया था और अदंरुनी क्षेत्रों में लोगों को इन समारोहों में भाग लेने से रोकने के लिए काले झंडे लहराए थे। ये अलगाववादी और विध्वंसक क्रिया-कलापों में संलिप्त रहते हैं जिनसे देश की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है, लोक-व्यवस्था और राज्य के विकास में विघ्न पड़ता है और लोगों के बीच आतंक का माहौल बनता है। विश्वसनीय सूत्रों से इसकी पुष्टि हुई है कि इन संगठनों ने बारुदी सुरंग, रॉकेट लांचर, आर पी जी जैसे घातक हथियार प्राप्त किए हैं। अभियोजन गवाह-2 ने 22-2-2010 को आगे यह बयान दिया कि ए टी टी एफ और एन एल एफ टी के काडरों ने सुरक्षा बल के कार्मिकों पर हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बल के कार्मिक घायल हो गए। इस संबंध में उनके जिले के पुलिस थाना मानू में दिनांक 22-2-2010 को एफ आई आर सं. 13/10 दर्ज की गई है। साक्ष्य के तौर पर उक्त की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई और वह ई एक्स. पी-2/गवाह-2 के रूप में प्रदर्शित है।

अभियोजन गवाह-3 ने अपनी मुख्य जांच के दौरान विभिन्न एफ आई आर का सार प्रस्तुत किया जिनके विवरण का उल्लेख उनके शपथपत्र में भी है। सार में उल्लिखित एफ आई आर की कार्बन प्रतियों अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई। विभिन्न एफ आई आर का सार और उनकी प्रमाणित प्रतियां रिकार्ड के लिए प्रस्तुत की गईं और उन्हें क्रमश: ई एक्स. पी-2/गवाह-1 (कौली) और ई एक्स.पी-3/गवाह-2 (कौली) के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बयान दिया कि पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी त्रिपुरा के रूप में अपनी ड्यूटियों के निर्वहन के दौरान उन्हें यह पता चला एन एल एफ टी और

ए टी टी एफ तथा इनके गुटों के सदस्य, 'भारत संघ से त्रिपुरा को स्वतंत्र करके' एक स्वतंत्र 'बोरोकलैंड त्रिपुरा' की स्थापना के अपने घोषित उद्देश्य को हासिल करने के प्रयोजन से क्षेत्र में विध्वसंक क्रिया-कलापों में संलिप्त हैं तथा इसके लिए उत्तरदायी हैं। ये अलगाववादी और विध्वंसक क्रिया-कलापों में संलिप्त रहते हैं जिनसे देश की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है, लोक-व्यवस्था और राज्य के विकास में विघ्न पड़ता है और लोगों के बीच आतंक का माहौल बनता है। उन्होंने बारुदी-सुरंग, रॉकेट लांचरों, आर पी जी आदि जैसे घातक हथियार प्राप्त किए हैं जिनका इस्तेमाल वे सुरक्षा बलों के खिलाफ कर रहे हैं। पिछले गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दौरान इन संगठनों ने बहिष्कार का आह्वान किया था और अंदरूनी क्षेत्रों में लोगों को इन समारोहों में भाग लेने से रोकने के लिए काले झंडे लहराए थे।उन्होंने आगे बयान दिया कि उनके 15.11.2009 के शपथपत्र में उल्लिखित घटनाओं के अतिरिक्त एन एल एफ टी के सदस्यों द्वारा सुरक्षा बलों पर बिना किसी उत्तेजनात्मक कार्रवाई के गोलीबारी की गई। मुंगईकामी थाना, जो उनके जिले में पड़ता है, में एक मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखी गई है और प्रदर्श पी-3/डब्ल्यू-3 के रूप में दर्शायी गई है। पी डब्ल्यू-3 ने आगे कहा कि यद्यपि इसके बाद पश्चिम त्रिपुरा में, जहां वह तैनात हैं, किसी घटना की खबर नहीं है, फिर भी, उन्हें एक अन्य घटना की जानकारी मिली है जिसमें ए टी टी एफ तथा एन एल एफ टी के सदस्यों ने मार्च, 2010 में सुरक्षा बलों पर हमला किया था।

पी डब्ल्यू-4, पुलिस अधीक्षक, उत्तरी त्रिपुरा जिला, ने अपने साक्ष्य में विशेष रूप से यह बयान दिया है कि शपथपत्र के पैरा-2 में उल्लिखित 24 प्राथमिकियों में से चार प्राथमिकियां उनके जिले से सम्बन्धित हैं। प्राथमिकियों की प्रमाणित प्रतियां रिकार्ड में रखी गई हैं तथा प्रदर्श पी-4/डब्ल्यू-1 (कोली) के रूप में दर्शायी गई हैं। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से यह भी बयान दिया है कि उनके जिले में नवम्बर 2009 में एक घटना हुई थी जिसमें एन एल एफ टी द्वारा 8 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी और कंचनपुर थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 10.11.2009 की उक्त प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखी गई है और प्रदर्श पी-4/डब्ल्यू-2 के रूप में दर्शायी गई है। उन्होंने आगे बयान दिया कि उनकी ड्यूटी के दौरान, तथा प्राप्त गुप्त सूचना और नवम्बर, 2009 में हुई घटना के आधार पर, ए टी टी एफ और एन एल एफ टी एवं उनके गुटों के सदस्य, क्षेत्र में विध्वसंक क्रियाकलापों में संलिप्त हैं और इनके लिए जिम्मेदार हैं जिनका घोषित उद्देश्य 'भारत संघ से त्रिपुरा को आजाद करके' एक स्वतन्त्र 'बारोकलैण्ड त्रिपुरा' की स्थापना करनें के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वे अलगाववादी तथा

विध्वंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं जिनसे देश की प्रभुसत्ता को खतरा है, राज्य में लोक व्यवस्था, विकास में बाधा होती है तथा लोगों के बीच भय उत्पन्न होता है। उन्होंने बारूदी सुरंगों, रॉकेट लांचरों, आर पी जी, आदि जैसे घातक हथियार प्राप्त कर लिए हैं जिनका प्रयोग वे सुरक्षा बलों के विरूद्ध कर रहे हैं। पिछले गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस के दौरान इन संगठनों ने बहिष्कार करने का आह्वान किया और लोगों को कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोकने के लिए भीतरी प्रदेशों में काले झण्डे लहराए।

पी डब्ल्यू-5, पुलिस अधीक्षक, धलाई जिला, त्रिपुरा ने अपनी मुख्य पूछताछ के दौरान स्पष्ट रूप से बताया कि वह अपने शपथपत्र के पैरा 2 में क्रम संख्या 19 से 24 में उल्लिखित प्राथमिकियों की कार्बन प्रतियां लाए हैं। उक्त प्राथमिकियां उन घटनाओं से संबंधित हैं, जो उनके जिले के क्षेत्राधिकार में घटित हुई थीं। प्राथमिकियों की प्रमाणित प्रतियां रिकार्ड में रखी गई हैं तथा प्रदर्श पी-5/डब्ल्यू-1(कोली) तथा प्रदर्श-पी-5/डब्ल्यू-2(कोली) के रूप में दर्शायी गई हैं। उन्होंने आगे बयान दिया कि उपर्युक्त घटनाओं के अतिरिक्त, नवम्बर, 2009; फरवरी 2010; और मार्च, 2010 के महीनों में तीन अन्य घटनाएं हुई थीं जिनके लिए अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज कराई गई थीं। अपने साक्ष्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि नवम्बर, 2009 की घटना में, घात लगाकर किए गए हमले में एक राइफलमैन की मृत्यु हो गई। फरवरी, 2010 की घटना में, एक राइफलमैन घायल हो गया तथा मार्च, 2010 की घटना में एन एल एफ टी के सदस्यों द्वारा गोलीबारी की गई। सभी तीनों घटनाएं एन एल एफ टी गुट से संबंधित हैं। प्राथमिकियों की प्रमाणित प्रतियां रिकार्ड में रखी गई हैं और प्रदर्श पी-5/डब्ल्यू-3(कोली) के रूप में दर्शायी गई हैं। इस गवाह ने आगे स्पष्ट रूप से बयान दिया कि उनके शपथपत्र में दिया गया बयान उन घटनाओं पर आधारित था, जो घटित हुई थीं और त्रिपुरा राज्य में ए टी टी एफ और एन एल एफ टी के सदस्यों की विध्वंसक क्रियाकलापों में संलिप्तता के संबंध में राज्य की विशेष शाखा, गृह विभाग से प्राप्त आसूचना रिपोर्टों के आधार पर था।

पी डब्ल्यू-6, पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा), त्रिपुरा ने अपने साक्ष्य में जोरदार तरीके से इस बात का उल्लेख किया कि एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ भूमिगत उग्रवादी संगठन हैं तथा उग्रवादी क्रियाकलापों में एवं कर की अवैध वसूली के रूप में, इन संघों द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के आधार पर जबरन धन वसूली में संलिप्त हैं। एक

ऐसे परिपत्र और नोटिस की प्रतियां रिकार्ड में रखी गई है और क्रमश: प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-3 और प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-4 के रूप में दर्शायी गई हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन परिपत्रों को ग्रामीणों से अथवा उक्त संगठनों के सदस्यों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के समय अथवा छापे मारे जाने के दौरान बरामद किया जाता है। परिपत्र (प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-3) 28.6.2008 को मारे गए छापे के बाद बरामद किया गया था, और यह एक प्राथमिकी की विषय-वस्तु है जिसका नंबर इस परिपत्र की प्रति में बिन्दु 'छ' पर पृष्ठांकित है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि उन्हें इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि ऐसे परिपत्र लगातार जारी होते रहे हैं जिनके आधार पर गरीब ग्रामीणों को इन संगठनों को धन देना पड़ता है। अपनी ड्यूटियों के दौरान तथा प्राप्त सूचना के आधार पर, बंगलादेश में चल रहे एन एल एफ टी और ए टी टी एफ के उग्रवादी शिविरों की एक सूची तैयार की गई है और दस्तावेज़ी पुस्तिका में पृष्ठ सं. 70 पर रिकार्ड में रखी गई है जिसे प्रदर्श पी-6/डब्ल्यू-1 के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने आगे बयान दिया कि वह पूछताछ प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, जहां गिरफ्तार किए जाने अथवा उनके आत्म-समर्पण किए जाने के बाद उग्रवादियों से पूछताछ की जाती है और यह पूछताछ, पूछताछ करने वाले अधिकारियों के एक दल द्वारा की जाती है जिसमें उप पुलिस अधीक्षक तथा सी सु ब, के औ सु ब, असम राइफल्स, विशेष ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो, आदि, के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उन्होंने दिनांक 16.6.2009 और 04.01.2009 की पूछताछ संबंधी रिपोर्टें भी प्रस्तुत कीं। इनकी प्रतियां रिकार्ड में रखी गई हैं और प्रदर्श पी-6/डब्ल्यू-2(कोली) तथा प्रदर्श पी-6/डब्ल्यू-3 (कोली) के रूप में दर्शायी गई हैं। इस गवाह ने यह भी बयान दिया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर विशेष शाखा द्वारा भी आसूचना रिपोर्टें एकत्र की जाती हैं।

पी डब्ल्यू-7, उप पुलिस अधीक्षक (केन्द्रीय) अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने इस अधिकरण के समक्ष बयान दिया कि उनके शपथपत्र के पैरा 3 से 8 में उल्लिखित घटनाएं ए टी टी एफ की अवैध तथा विध्वसंक क्रियाकलापों की विषय-वस्तु है। 1.10.2008 को हुई घटना में, चार बम विस्फोट हुए और उसी शाम मोटर स्टैण्ड पर एक जिन्दा बम को ढूंढ निकाला गया। 5.10.2008 को, राधामाधव मंदिर के निकट एक अन्य बम का पता लगाया गया और बम निरोधक दस्ते द्वारा निष्क्रिय किया गया। बम के साथ जोड़ा गया एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद

किया गया और जब्त किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत छः मामले दर्ज किए गए जिनकी प्रतियां रिकार्ड में रखी गई हैं। उन्होंने आगे बयान दिया कि फील्ड सूचना तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर वह निश्चित रूप से मानते हैं कि ए टी टी एफ तथा एन एल एफ टी दोनों संगठन त्रिपुरा राज्य में लगातार अपने अवैध तथा विधिविरूद्ध क्रियाकलापों को अंजाम दे रहे हैं।

पी डब्ल्यू-8 उप पुलिस अधीक्षक, सी आई डी, त्रिपुरा हैं। उन्होंने बयान दिया कि वह वर्ष 2009 से उप पुलिस अधीक्षक, (सी आई डी) के रूप में तैनात हैं और अपनी ड्यूटियों के दौरान, उन्हें त्रिपुरा राज्य में एन एल एफ टी द्वारा जारी किए गए, एन एल एफ टी के गैर-कानूनी संविधान तथा कर प्ररिपत्र के बारे में पता चला। कर परिपत्र की प्रति रिकार्ड में रखी गई है और प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-3 के रूप में दर्शायी गई है और त्रिपुरा राज्य में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दिनांक 28.6.2008 को एक मुठभेड़ के बाद उग्रवादियों के कब्जे से बरामद, एन एल एफ टी के कर नोटिस को दस्तावेज़ी पुस्तिका के पृष्ठ 68 पर रिकार्ड में रखा गया है तथा इसे प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू- 4 के रूप में दर्शाया गया है। एन एल एफ टी और ए टी टी एफ के गैर-कानूनी संविधान की प्रतियां भी रिकार्ड में रखी गई है तथा क्रमशः प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-1(कोली) तथा प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-2 (कोली) के रूप में दर्शायी गई हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से बयान दिया कि प्राप्त सूचना के अनुसार, ए टी टी एफ तथा एन एल एफ टी और उनके गुट त्रिपुरा राज्य में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप चला रहे हैं और उनका मकसद लोगों के दिमागों में भय उत्पन्न करके स्वतंत्र 'बोरोकलैण्ड त्रिपुरा' की स्थापना करनें के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करना है।

पी डब्ल्यू-9, भी उप पुलिस अधीक्षक, सी आई डी, त्रिपुरा, अगरतला के रूप में कार्यरत हैं, जो इस अधिकरण के समक्ष पेश हुए तथा बयान दिया कि ए टी टी एफ एक भूमिगत उग्रवादी संगठन है, जिसने गैर-कानूनी रूप से अपने संविधान की रचना की है और जिसकी प्रतियां गुप्त तरीके से त्रिपुरा राज्य में जारी की गई हैं। ए टी टी एफ के संविधान की प्रति प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-2 के रूप में पहले ही दर्शायी जा चुकी है। उन्होंने आगे बयान दिया कि 1.10.2008 को, ए टी टी एफ के उग्रवादियों ने अगरतला कस्बे में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट किए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक विस्तृत जांच की गई, इस मामले में चार्ज शीट दाखिल की गई है और मामला लंबित है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि ए टी टी एफ और एन एल एफ टी दोनों संगठन

तथा उनके गुट त्रिपुरा राज्य में विध्वसंक क्रियाकलापों में संलिप्त हैं और इनके लिए उत्तरदायी हैं तथा इनका उद्देश्य और मकसद त्रिपुरा को भारत संघ से आज़ाद कराना है। उन्होंने आगे बयान दिया कि आसूचना रिपोर्टों तथा की गई क्षेत्र कवायदों के आधार पर, उन्हें इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि दोनों संगठनों ने बारूदी सुरंगों, राकेट लांचरों, आर पी जी, आदि जैसे घातक हथियार प्राप्त किए हैं जिन्हें सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है।

पी डब्ल्यू-10 मुंगईकामी थाना, पश्चिम त्रिपुरा के प्रभारी अधिकारी हैं, जो 2007 से मुंगईकामी थाने में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि दिनांक 26.4.2008 की घटना, जिसका ब्यौरा उनके शपथपत्र के पैरा-3 में दिया गया है, के लिए थाना मुंगईकामी में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 148/149/302/364(ए) के अंतर्गत एक प्राथमिकी सं.09/2008 दर्ज कराई गई थी, उक्त प्राथमिकी की प्रति भी उपलब्ध है और प्रदर्श पी-3/डब्ल्यू-2(कोली) के रूप में पहले ही दर्शायी गई हैं। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि उक्त घटना में, एन एल एफ टी के 6-7 हथियारबंद उग्रवादियों के एक ग्रुप ने रेलवे के कार्य स्थल, जो उनके थाने के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत हैं, से श्री देबब्रत दास, सेक्शन इंजीनियर, एन.एफ.रेलवे, अगरतला को अगवा कर लिया और एन.एफ. रेलवे के श्री धीरेन्द्र देब नाथ, मिस्त्री को भी मौत के घाट उतार दिया। त्रिपुरा राज्य राइफल ग्रुप के कर्मियों ने उग्रवादियों का पीछा किया लेकिन घने जंगल से घिरे होने के कारण उग्रवादी बच निकले। बचाव कार्य किए गए और अगवा किए गए व्यक्ति को बचा लिया गया।

पी डब्ल्यू-11 मानिकपुर थाना, धलाई जिला के प्रभारी-अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने बयान दिया कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर एन एल एफ टी और ए टी टी एफ तथा इसके विभिन्न गुट/विंग्स त्रिपुरा राज्य के भीतर सक्रिय हैं और 29.11.2008 को हुई एक घटना में सी सु ब के एक अधिकारी तथा नौ जवानों का एक दल तीन नागरिकों के साथ शेर स्थित सीमावर्ती चौकी से गर्जन पासा सीमावर्ती चौकी की ओर जा रहे थे। शेर सीमावर्ती चौकी से लगभग 2.5 कि.मी. की दूरी पर 30-35 हथियारबंद उग्रवादियों का एक समूह सी सु ब के दस्ते पर घात लगाकर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था और ज्योंहि सी सु ब का दस्ता घात बिन्दु के निकट पहुंचा, उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी और सी सु ब के दस्ते पर आई इ डी (इम्प्रोवाइज़्ड एक्स्प्लोजिव्स डिवाइस) से विस्फोट किया। उन्होंने

ड्राइवर के केबिन में हथगोले भी फेंके। सी सु ब के दस्ते ने जवाबी हमला किया। भारी गोलीबारी के बीच तीन सी सु ब कर्मी तथा एक नागरिक घटना स्थल पर ही मारे गए और दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सी सु ब दस्ते को ले जा रहे दो वाहनों को भी क्षति पहुंची। उन्होंने कहा कि दिनांक 29.11.2008 को मानिकपुर थाने में जहां यह गवाह प्रभारी-अधिकारी है, भा.द.स. की धाराओं 148/149/353/326/307/302 के अंतर्गत एक प्राथमिकी सं.08/2008 दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि वह मूल प्राथमिकी (जिसे अधिकरण ने देखकर लौटा दिया था) की कार्बन प्रति लाए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि उनकी जानकारी के मुताबिक, एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ अभी भी त्रिपुरा राज्य में सक्रिय हैं और विधि-विरूद्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

पी डब्ल्यू-12, निरीक्षक 'बी' कम्पनी, 77 बटालियन, सी सु ब, फटीकचेर्रा, पश्चिम त्रिपुरा के रूप में तैनात हैं। उन्होंने बयान दिया कि दिनांक 29.11.2008 को जब घटना हुई उस समय, वह बटालियन के मुख्यालय में थे और सूचना मिलते ही, वह सी सु ब के अन्य सदस्यों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पाया कि सी सु ब के तीन जवान और एक नागरिक मारे गए थे, सी सु ब के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे और भारी गोलीबारी हुई थी, इसके अतिरिक्त एक नागरिक और एक सी सु ब का जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक प्राथमिकी सं.08/2008 दर्ज कराई गई थी, जो प्रदर्श पी-5/डब्ल्यू-1 (कोली) के रूप में दर्शायी गई है।

पी डब्ल्यू-13, जो एन.एफ. रेलवे में इस समय सेक्शन इंजीनियर के पद पर असम में तैनात हैं, ने अपनी पूछताछ के दौरान, बयान दिया कि 26.04.2008 को हुई घटना में, 6-7 हथियारबंद उग्रवादियों के एक समूह ने उन्हें उनके कार्य स्थल से अगवा कर लिया और एन.एफ.रेलवे के धीरेन्द्र देब नाथ, मिस्त्री, को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, हालांकि, उन्हें पुलिस ने बचा लिया। उन्होंने आगे बयान दिया कि उनके अगवा किए जाने के दौरान, उन्हें पता चला कि उन्हें अगवा करने वाले व्यक्तियों का संबंध एन एल एफ टी से था और कि उनकी मंशा एक पृथक राज्य बनाने की थी; कि वे अपना स्वयं का राज्य बनाना चाहते थे; कि उनके पास भारी मात्रा में हथियार एवं गोलाबारूद था और बड़े पैमाने पर लोगों के दिमाग में डर पैदा करना चाहते थे। उन्होंने आगे बताया कि वे गैर-कानूनी कर नोटिस जारी करके राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध रूप

से लोगों से जबरन धन-वसूली भी करते थे और उनकी आगे मंशा रेलवे लाइन के निर्माण में बाधा डालने की थी। उन्होंने यह भी बताया कि एन एल एफ टी के सदस्य, उनके साथ तथा उनके स्वयं के बीच अपने वार्तालाप के दौरान धमकी दे रहे थे कि वे भारतीय संघ से त्रिपुरा को आजाद करा कर एक स्वतंत्र 'बोरोकलैंड त्रिपुरा' के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य के क्रियाकलापों में बाधा डालेंगे; और उसके लिए उन्हें हत्या करने तथा जबरन धन वसूलने में कोई गुरेज नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि उस समय इस संघ के सदस्यों ने यह भी दावा किया कि उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे ए टी टी एफ के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। उन्होंने दो सदस्यों का नाम भी बताया, जिनके नाम वह श्री सन्तोष और श्री साम्पा के रूप में बता सके, जिनके पास हथियार एवं गोलाबारूद थे।

पी डब्ल्यू-14 उप सचिव (गृह), त्रिपुरा राज्य हैं, जो सीलबंद कवर में आसूचना रिपोर्ट लाए थे। उन्होंने इस अधिकरण से अनुरोध किया कि, सूचना के स्वरूप और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, सीलबंद रिपोर्टों को केवल इस अधिकरण द्वारा ही खोला जाए और पढ़ा जाए (सीलबंद कवर अधिकरण द्वारा खोला गया और इसकी विषय-वस्तु को पढ़ा गया)। उन्होंने बयान दिया कि सील बंद लिफाफे में अन्तर्विष्ट गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने दिनांक 31.07.2009 को एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी थी। उन्होंने आगे बयान दिया कि आसूचना रिपोर्टों के अनुसार ये दोनों संगठन अर्थात् एन.एल.एफ.टी. तथा ए.टी.टी.एफ. लगातार अपनी गैरकानूनी एवं विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और बाधाएं भी खड़ी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के दिमाग में आतंक पैदा कर रहे हैं साथ ही जबरन धन वसूली की कोशिशों सहित वे त्रिपुरा राज्य के विकास कार्यों में बाधा खड़ी करने की धमकियां भी दे रहे हैं।

26. केन्द्र सरकार ने श्री आर. आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अपने साक्षी (पी.डब्ल्यू-15) के रूप में पेश किया है, जिन्होंने अपनी मुख्य जांच में बयान दिया कि वे गृह मंत्रालय नई दिल्ली में निदेशक हैं। उन्होंने आगे बयान दिया कि अधिकरण के अवलोकनार्थ तथा इस मामले में अधिकरण को निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए वे उक्त दो संगमों के क्रिया-कलापों के बारे में आसूचना एजेंसियों, सुरक्षा बलों तथा त्रिपुरा सरकार से प्राप्त गुप्त सूचनाओं के विवरणों की एक फाइल सीलबंद कवर में अपने साथ लाए हैं। उक्त सीलबंद कवर को खोला गया और उसमें दी गई विषयवस्तु का अवलोकन किया गया।

27. मैंने, भारत सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री ए.एस. चन्ध्योक और त्रिपुरा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गोपाल सिंह के तर्कों को सुना और उन पर गहन विचार किया था।

28. केन्द्र सरकार तथा त्रिपुरा राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वकीलों ने तर्क दिया कि दिनांक 03.10.2009 की अधिसूचना, जिसके द्वारा एन.एल.एफ.टी तथा ए.टी.टी.एफ. को विधि विरूद्ध संगम घोषित किया गया था, की पुष्टि इस अधिकरण द्वारा उन गवाहों के साक्ष्य के आधार पर की जाए, जिन्होंने प्रमाणित किया है कि उक्त संगम पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न विधि विरूद्ध आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं और इसलिए, उनके अनुसार सरकार के पास इस अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए भेजी गई दिनांक 03.10.2009 की अधिसूचना द्वारा उक्त संगमों को विधि विरूद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण थे।

29. भारत संघ तथा त्रिपुरा राज्य द्वारा दिनांक 03.10.2009 की अधिसूचना हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत प्रमाणों को मैंने सावधानी पूर्वक देखा है, मनन किया है और मूल्यांकन किया है।

<u>रिकार्ड में रखे गए साक्ष्य का मूल्यांकन</u>:

30. प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-1(कोली) के रूप में प्रदर्शित एन.एल.एफ.टी. का संविधान इसकी भूमिका के साथ 15 नवम्बर, 1994 को एन.एल.एफ.टी. की केन्द्रीय समिति द्वारा अपनाया गया प्रतीत होता है।

(क) संविधान की भूमिका में एन.एल.एफ.टी. का त्रिपुरा में विध्वंसात्मक आंदोलन का आधार दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें उल्लेख किया गया है कि विदेशी राष्ट्रिकों के आप्रवास के सतत् अन्तरागम द्वारा बोरोक नाम से जाने जाने वाले देशी लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है और यह कि, भारत के धमकी भरे दुराग्रह एवं साम्राज्यवाद के चलते देशी लोगों का शोषण हो रहा है, उन्हें सताया जा रहा है और दबाया जा रहा है। देशी लोगों की भाषा, रीति-रिवाजों एवं धर्मों के लिए खतरा पैदा हो गया है तथा सांस्कृतिक जाति संहार किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने विद्रोह की रोकथाम हेतु देशी बोरोक लोगों पर सशस्त्र बल अधिनियम, 1958, आतंकवादी एवं विध्वंसात्मक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कठोर कानून अधिरोपित किए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि देशी लोगों को उनके स्वदेश से उखाड़ फेंकने के लिए साम्राज्यवादी भारत की यह नियमित कार्रवाई है। यह कहा गया है

कि इन परिस्थितियों के चलते राष्ट्रवादी बोरोक युवा 12 मार्च, 1989 को गोण्डा त्विसा में एकत्र हुए और एन.एल.एफ.टी. के साथ-साथ इसकी सशस्त्र विंग अर्थात् 11 दिसम्बर, 1991 को उदयपुर उप-मंडल के अंतर्गत त्विनानी जांच चौकी पर हथियारों से हमला करने के साथ बोरोक आर्मी का गठन किया।

(ख) भूमिका के अनुसार, एन.एल.एफ.टी. के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में त्विप्रा की बोरोक सभ्यता की विशिष्ट एवं स्वतंत्र पहचान हेतु सशस्त्र संघर्ष द्वारा 'देश' से साम्राज्यवाद, पूंजीवाद एवं नवउपनिवेशवाद को समाप्त करना; बोरोकलैंड त्विप्रा को मुक्त कराना एवं जनतांत्रिक सरकार की स्थापना करना; बोरोक राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण, अत्याचार, दमन तथा नवउपनिवेशवाद से मुक्त कराना एवं इसके साथ ही पारंपरिक देशी संस्कृति एवं जन आस्थाओं आदि के बहाली का कार्य करना शामिल हैं। बोरोक सभ्यता की मुक्ति को साकार रूप देने हेतु संविधान का प्रारूप तैयार किया गया तथा दिनांक 15 नवम्बर, 1994 को केन्द्रीय कार्यकारी समिति में अनुमोदित किया गया।

31. एन.एल.एफ.टी. के संविधान में उल्लेख है कि बोरोक सभ्यता की विशिष्ट एवं स्वतंत्र पहचान के लिए बारोकलैंड त्विप्रा को आजाद कराने तथा विचारों, अभिव्यक्ति, श्रद्धा, विश्वास एवं पूजा की आजादी को प्रोत्साहित करने हेतु एक क्रांतिकारी संगठन के गठन का संकल्प लिया गया है। तदुपरांत, त्विप्रा की बोरोक जनता के प्रतीक एवं आधिकारिक भाषा का वर्णन किया गया है। संविधान के अध्याय-II में एन.एल.एफ.टी. के सदस्यों के नामांकन हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया का वर्णन है, जबकि अध्याय-III में एन.एल.एफ.टी. के सदस्यों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, विदेश सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव, न्यायिक सचिव आदि पदाधिकारी शामिल हैं, उल्लेख संविधान के अध्याय-IV में किया गया है। संविधान के अध्याय - V में विभिन्न प्राधिकारियों के कार्यों को दर्शाया गया है। एन.एल.एफ.टी. के प्रचालन क्षेत्र को संविधान के अध्याय-VI के अनुच्छेद-32 में दर्शाया गया है, जिसमें त्विप्रा का संयुक्त राज्य, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नेफा (अरूणाचल) एवं सिक्किम शामिल हैं।

32. इसी प्रकार, ए.टी.टी.एफ. का संविधान भी रिकार्ड पर प्रस्तुत किया गया है और इसे प्रदर्श-पी-8/डब्ल्यू-2 (कोली) के रूप में दर्शाया गया है। ए.टी.टी.एफ. का उद्देश्य एवं लक्ष्य भारत के संविधान के अंतर्गत जनजातियों के 19 सूत्रीय हितों के अस्तित्व के लिए बिना किसी

समझौते के सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना है। ए.टी.टी.एफ. का कहना है कि वह भारत की संसद में स्वीकार किए गए सभी निर्णयों को पूरा करने एवं उन्हें लागू करवाने हेतु संघर्ष करेगा। पूर्वोतर के सात राज्य अर्थात् त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय मिलकर एक पृथक देश का रूप धारण करेंगे और इस प्रयोजन के लिए ए.टी.टी.एफ सभी प्रकार के आंदोलनों का समर्थन करेगा और इस उद्देश्य के लिए वह अपने निजी बल का प्रयोग करेगा। ए.टी.टी.एफ. जनजातियों पर होने वाले दमन, उत्पीड़न एवं अत्याचार के विरुद्ध लड़ेगा तथा उनकी आजादी के लिए संघर्ष करेगा। ए.टी.टी.एफ. के संविधान का अनुच्छेद-5 कानून एवं शक्ति के संबंध में है जबकि अनुच्छेद-6 अनुशासन एवं प्रतिबंधों के बारे में है। अनुच्छेद-8 लोक संबंधों के बारे में है तथा अनुच्छेद-11 योगदान एवं सदस्यता शुल्क की संग्रहण प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 12 ए.टी.टी.एफ. की संरचना के बारे में है तथा अध्यक्ष से लेकर मेजर तक सभी व्यक्ति केन्द्रीय समिति के सदस्य होंगे। ए.टी.टी.एफ. की दो रेजीमेंट होंगी, एक बीर बिक्रम रेजीमेंट के नाम से तथा दूसरी बोरोक रेजीमेंट के नाम से होगी। संगठन की सरंचना का उल्लेख किया गया है तथा ए.टी.टी.एफ. का कमांडर-इन-चीफ बल की सभी बसों एवं रेजीमेंटों का नियंत्रण करेगा। ए.टी.टी.एफ. का अपना स्वयं का झंडा एवं प्रतीक चिन्ह है।

33. एन.एल.एफ.टी. तथा ए.टी.टी.एफ. दोनों के ही पूर्वोक्त संविधानों का उद्देश्य एक पृथक देश की स्थापना है तथा इनमें से कोई भी भारत के संविधान के अंतर्गत अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है, हालांकि, ए.टी.टी.एफ. भारत के संविधान के कुछ सिद्धान्तों के साथ सहमत है, जिन्हें वह अपने निजी संविधान के माध्यम से लागू कराना चाहता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता हैं कि एन.एल.एफ.टी. एवं ए.टी.टी.एफ. एक पृथकतावादी विचारधारा को प्रवर्तित करते हैं तथा पूर्वोतर राज्यों को भारत संघ के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं अथवा कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की उम्मीद करते हैं। अत: दोनों संगम, अधिनियम की धारा 2(o) (i) में यथा परिभाषित विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं।

34. अपने उद्देश्यों के अनुसरण में, दोनों संगमों ने त्विप्रा राजशाही सरकार की स्थापना की है। प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-3 एवं प्रदर्श पी-8/डब्ल्यू-4 के रूप में प्रदर्शित दस्तावेजों को, जो त्विप्रा राजशाही सरकार द्वारा जारी क्रमश: परिपत्र एवं नोटिस हैं, जिनमें कुछ करों के भुगतान की मांग की गई है, अधिकरण के समक्ष रिकार्ड पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त नोटिस पर एक व्यक्ति,

जिसे कथित तौर पर सचिव, राजस्व एवं कर विभाग, त्विप्रा राजशाही सरकार बताया जाता है, के हस्ताक्षर हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि एन.एल.एफ.टी. एवं ए.टी.टी.एफ. द्वारा भारत के कानून के परे धन उगाहने के प्रयास किए जा रहे हैं और इससे साफ पता चलता है कि यह सब समानान्तर सरकार चलाने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है।

35. अपने मामले के समर्थन में, कि एन.एल.एफ.टी. एवं ए.टी.टी.एफ. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिसांत्मक एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं और बड़े पैमाने पर जनता के बीच आतंक एवं हिंसा फैलाते हैं, त्रिपुरा राज्य ने एक चार्ट दाखिल किया है जिसमें ए.टी.टी.एफ. एवं एन.एल.एफ.टी. से संबद्ध घटनाओं में 03 अक्तूबर, 2007 से जून 2009 के बीच मारे गए व्यक्तियों, घायलों तथा अपहृत (सुरक्षा कार्मिकों सहित) व्यक्तियों के आकंड़े दर्शाए गए हैं, ये आकंड़े इस प्रकार हैं:-

	वर्ष 2007 (03.10.07 से 31.12.07 तक)	वर्ष 2008	वर्ष 2009 (जून तक)	जोड़
मारे गए व्यक्ति	02	10*	-	12
घायल हुए व्यक्ति	01	71#	08	80
अपहृत/व्यपहृत व्यक्ति	09	30	01	40

* 03 सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों सहित।

अगरतला में हुए श्रंखलाबद्ध विस्फोटों में घायल हुए 66 व्यक्ति शामिल हैं।

36. त्रिपुरा राज्य ने इन संगमों द्वारा सिविल नागरिकों एवं सुरक्षा कार्मिकों की हत्या करने, व्यपहरण, अपहरण तथा फिरौती की मांगों के बारे में प्राथमिकियों की प्रतियां भी दाखिल की हैं। राज्य द्वारा प्रमाणित प्रतियां/मूलपत्रों की कार्बन प्रतियां प्रस्तुत की गई थी तथा उनकी प्रतियों को प्रदर्श-पी-2/डब्ल्यू-2, प्रदर्श पी-3/डब्ल्यू-2(कोली), प्रदर्श पी-3/डब्ल्यू-3, प्रदर्श पी-4/डब्ल्यू-1(कोली), प्रदर्श पी-4/डब्ल्यू-2, प्रदर्श पी 5/डब्ल्यू-1(कोली), प्रदर्श पी-5/डब्ल्यू-2(कोली) एवं प्रदर्श पी-5/डब्ल्यू-3 (कोली) के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में दर्ज की गई कुछ प्राथमिकियां जिन्हें रिकार्ड पर भी प्रस्तुत किया गया है, निम्नप्रकार है:-

(i) प्रदर्श पी-2/डब्ल्यू-2 पुलिस थाना मानू में दिनांक 22 फरवरी, 2010 को दर्ज एक प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) है जिसमें उल्लेख है कि ओ.जी. वर्दी में 4-5 आधुनिक हथियार बंद सदस्यों ने टी.एस.आर. कार्मिकों पर गोली चलाई जिसमें टी.एस.आर. का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया;

(ii) प्रदर्श पी-3/डब्ल्यू-3 पुलिस थाना मुंगायकेमी में दिनांक 17 नवम्बर, 2009 को दर्ज प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) सं. 14/2009 है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सूरेन देब बर्मा ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस एन.एल.एफ.टी. सदस्यों के एक समूह के साथ मिलकर टी.एस.आर.के एक दल पर घात लगाकर हमला किया और इस दल पर गोलियां चलाईं, इस घटना में टी.एस.आर कार्मिकों ने अपनी जान एवं गोला तथा बारूद की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की;

(iii) प्रदर्श पी-4/डब्ल्यू-2 पुलिस थाना कंचनपुर, उत्तरी त्रिपुरा, जिले में दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को दर्ज प्राथमिकि (एफ.आई.आर.) संख्या 78/09 है, जिसमें उल्लेख है कि 9 नवम्बर, 2009 को लगभग 10.30 बजे रात्रि में 10-12 अज्ञात एन.एल.एफ.टी. समूह के सशस्त्र काडरों ने 08 व्यक्तियों की हत्या कर दी; तथा

(iv) प्रदर्श पी-5/डब्ल्यू-3 पुलिस थाना मानू, जिला ढलाई, त्रिपुरा में दिनांक 05 मार्च, 2010 को दर्ज प्राथमिकी (एफ.आइ.आर.) सं.15/2010 है, जिसमें उल्लेख है कि 02 मार्च 2010 को 7.30 बजे रात्रि में विशेष ड्यूटी पर तैनात टी.एस.आर. की चौथी बटालियन के 20 एस.ओ.जी. कार्मिकों के एक दल पर एन.एल.एफ.टी. काडरों द्वारा सतपरा गांव में हमला किया गया तथा जवाबी कार्रवाई के बाद उग्रवादी काडर भागने में सफल रहे। तलाशी के दौरान ए.के.47 राउन्ड के पाँच खोखे बरामद हुए जिन्हें पुलिस थाना प्रभारी, मानू, जिला ढलाई को सौंप दिया गया।

37. त्रिपुरा राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों के विभिन्न पुलिस थानों में बड़ी संख्या में दर्ज प्राथमिकियां (एफ.आई.आर.) बताती हैं कि कुछ समय से उक्त संगमों के काडरों द्वारा पुलिस कार्मिकों पर हमला करने तथा सिविलियनों की अंधाधुंध हत्या करने की एक संगठित योजना को अमल में लाया गया था। अपहरण एवं व्यपहरण की अनेक घटनाएं हुई हैं। यह उल्लेखनीय है कि ये सभी गतिविधियां समग्र रूप से दर्शाती हैं कि एन.एल.एफ.टी तथा ए.टी.टी.एफ. उग्रवादी न केवल विध्वंसक कार्रवाईयों को अंजाम दे रहे हैं अपितु, हिंसा के द्वारा उन्होने स्थानीय निवासियों के बीच आतंक फैला रखा है। एन.एल.एफ.टी. एवं ए.टी.टी.एफ. दोनों के ही उग्रवादियों द्वारा देश के कानून को समाप्त करने की सुनियोजित कोशिशें रही हैं तथा उनकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की परिभाषा

में आती हैं जैसा कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(o) में वर्णित है, जो कि निम्नवत पठित है:-

(ण) "किसी व्यक्ति अथवा संगम के संबंध में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संगम द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य से है (चाहे वह किसी कृत्य को करते हुए, अथवा मौखिक या लिखित शब्दों से अथवा चिन्हों या प्रत्यक्ष अभ्यावेदन के माध्यम से अथवा अन्यथा) :-

(i) जिसका इरादा किसी भी आधार पर भारतीय भू-भाग के किसी हिस्से को अलग करने अथवा भारतीय भू-भाग के किसी हिस्से को संघ से पृथक करने का हो अथवा जो ऐसे किसी दावे का समर्थन करता हो, या जो किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को ऐसे अलगाववाद या पृथकवाद के लिए प्रेरित करता है।

(ii) जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करता हो अथवा इसका विरोध करता हो या इसे भंग करता हो अथवा इसे भंग करने की मंशा रखता हो; अथवा

(iii) जो भारत के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करता हो या ऐसा करने का इरादा रखता हो ;

38. उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि खंड (ञ) में परिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' का अर्थ इसमें उल्लिखित प्रकार के 'किसी ऐसे कार्य से है, जिसके उल्लिखित परिणाम हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति/संगम द्वारा की गई किसी कार्रवाई, जो 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' हो, में परिभाषाओं में विनिर्दिष्ट सम्भावना होनी चाहिए। इन तथ्यों का निर्धारण ही किसी संगम को अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत विधिविरुद्ध घोषित करने का आधार होता है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (त) में 'विधिविरुद्ध संगम' को इसके उप खंड (i) में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, तथा उप खंड (ii) में इसका संदर्भ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क अथवा धारा 153-ख के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से है। उप खण्ड (ii) में वस्तुपरक निर्धारण भा.द.सं. की धारा 153 क अथवा धारा 153 ख के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के संदर्भ में है जबकि उप खण्ड (i) में यह खण्ड (ञ) में यथापरिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के संदर्भ में है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का निर्धारण, कि क्या कोई संगम विधिविरुद्ध संगम है अथवा बन गया है, ऐसे निर्णय को सही ठहराता है और निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि इस प्रकार के संगम द्वारा किया गया 'कोई कृत्य' 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' है जो इस संगम का उद्देश्य है।

39. पी डब्ल्यू-15 द्वारा प्रस्तुत आसूचना रिपोर्टें संघ सरकार के मामले का समर्थन करती हैं। तथापि, इन दस्तावेजों के विवरणों को प्रकट करना उचित नहीं होगा। इन दस्तावेजों का निचोड़ निम्न प्रकार है :-

(क) ये दोनों संगम अपनी पृथकतावादी गतिविधियों में संलिप्त हैं और त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करके एक पृथक 'त्विपुरा राजशाही' का निर्माण करने की उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि एन.एल.एफ.टी. अपने गठन के बाद से ही एक अलग देश की मांग करता रहा है, वहीं ए. टी. टी. एफ. 1997 में गठित अपने राजनीतिक विंग टी.डी.पी.एफ. के साथ मिलकर अधिक मुखर हो गया है और 'भारतीय आधिपत्य बलों' के विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा 'औपनिवेशिक दासता' से मुक्ति की बात करता रहा है

(ख) एन.एल.एफ.टी. आदिवासियों की वकालत करता रहा है और वह राज्य में गैर आदिवासियों से सभी प्रकार के संबंधों का तिरस्कार करता है। एन.एल.एफ.टी. काडर गैर आदिवासियों को निशाना बनाते हैं जो पिछले कुछ समय से इसकी हिंसा का मुख्य निशाना बन गए हैं।

(ग) ए.टी.टी.एफ. की मुख्य मांगों में निम्न शामिल हैं :-

(i) 1956 के बाद त्रिपुरा में आए सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें राज्य से बाहर निकाला जाना चाहिए।

(ii) अवैध रूप से ली गई समस्त आदिवासी भूमि आदिवासियों को वापिस की जानी चाहिए और एक अलग ट्राइबल रिजर्व एरिया गठित किया जाना चाहिए।

(घ) एन.एल.एफ.टी. के पास शस्त्रों और गोलाबारूद में ए.के. सीरीज़ की राइफलों सहित स्वचालित हथियारों, रॉकेट लांचर और बारूदी सुरंगों, आई ई डी जैसे घातक हथियार शामिल हैं वहीं ए.टी.टी.एफ. के पास भी बहुत से घातक हथियार हैं जिनमें ए.के. सीरीज की राइफलें ग्रेनेड/रॉकेट लांचर और सुरंगे/आई.ई.डी. शामिल हैं। एन.एल.एफ.टी. और ए टी टी एफ दोनों हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा कार्मिकों, नागरिकों की हत्या की जा रही है, राज्य के प्राधिकार को कम किया जा रहा है, और अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आम लोगों में आतंक हिंसा और डर फैला रहे हैं। इन दोनों संगमों ने बचकर भाग निकलने, प्रशिक्षण और शस्त्र एवं गोलाबारूद जुटाने के लिए पड़ोसी देश में शिविर स्थापित कर लिए हैं और इन्हें कायम रखे हुए हैं :

(ड.) इन दोनों संगमों का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करना प्रतीत होता है और अपने घोषित उद्देश्य को हासिल करने के लिए ये निधियां जुटाने हेतु आम लोगों को डराने धमकाने, उनसे जबरन धन वसूलने, एवं उन्हें लूटने में लगे हैं। उनके द्वारा जनता की राय को प्रभावित करने के लिए अन्य विरोधी संगठनों के साथ भी संबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाने का पता चला है।

(च) संघ सरकार और त्रिपुरा सरकार के मतानुसार उक्त संगमों से प्रतिबंध हटाने और विद्रोह-रोधी अभियान में कोई ढील देने से इन संगमों को फिर से स्वयं को मजबूत बनाने का मौका मिल जाएगा। इन पर दबाव बनाने और जबरन धन वसूली से इनको होने वाली धन की आपूर्ति को रोकने के उद्देश्य से इन संगमों के विरूद्ध विद्रोह-रोधी अभियानों को तेज करने की भी जरूरत है।

40. पी डब्ल्यू-15 द्वारा साक्ष्य में दाखिल शपथपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि गैर आदिवासियों एवं सुरक्षा कार्मिकों को निशाना बनाने के लिए इन दोनों संगमों के काडरों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं तथा गैर आदिवासियों पर हुए इन हमलों के कारण पिछले कुछ समय से आदिवासियों एवं बंगाली लोगों के बीच नृजातीय तनाव में निरंतर वृद्धि हुई है जिसमें मासूम लोग हिंसा का शिकार हुए हैं इसके परिणामस्वरूप राज्य में रह रहे आदिवासी एवं गैर आदिवासी लोगों के बीच एक बड़ी दरार आ गई है तथा नृजातीय अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है और इसलिए केन्द्र सरकार का यह मत है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि इन दोनों संगमों को 'विधिविरुद्ध' घोषित करते हुए अधिसूचना तत्काल प्रभाव से जारी की जाए।

41. केन्द्र सरकार तथा त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के साथ-साथ एन.एल.एफ.टी. एवं ए.टी.टी.एफ. द्वारा इन तथ्यों को अस्वीकार नहीं किए जाने या न ही दोनों में किसी का इनसे कोई विवाद होने के बाद त्रिपुरा राज्य की ओर से विद्वान वकील द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा यह माना जाना चाहिए कि ये दस्तावेज एन.एल.एफ.टी. तथा ए.टी.टी.एफ. द्वारा आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों के बीच दरार उत्पन्न करने की मंशा को दर्शाते हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (ण) के तहत एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप है क्योंकि इनका उद्देश्य व्यक्तियों के एक समूह को भारत संघ से पृथक होने के लिए भड़काना है।

42. रिकॉर्ड में उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण के पश्चात इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि एन.एल.एफ.टी. तथा ए.टी.टी.एफ. के क्रियाकलाप विधिविरुद्ध हैं तथा केन्द्र सरकार का यह निष्कर्ष पूर्णतया तर्कसंगत है कि दोनों संगम विध्वंसक एवं हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं, केन्द्र सरकार के प्राधिकार को कम कर रहे हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये दोनों संगम लोगों के बीच भय एवं हिंसा फैला रहे हैं। केन्द्र सरकार का यह मत भी पूर्णतया तर्कसंगत है कि ये दोनों संगम समर्थन जुटाने के लिए अन्य विधिविरुद्ध संगमों से संबंध बनाए हुए हैं तथा अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये हिंसक एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं जो भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता के लिए हानिकारक है।

43. केन्द्र सरकार तथा त्रिपुरा राज्य ने इस निष्कर्ष के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि दोनों संगम त्रिपुरा में आम नागरिकों एवं पुलिस तथा सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्याओं, लोगों से भारी मात्रा में धन की वसूली, सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण तथा शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि प्राप्त करने हेतु पड़ोसी देश में शिविरों की स्थापना एवं उन्हें चलाने में संलिप्त रहे हैं तथा ये दोनों संगम त्रिपुरा में आदिवासियों एवं गैर आदिवासी समुदायों के बीच साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं।

44. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जमाएत -ए-इस्लामी हिन्द बनाम भारत संघ, 1995 (1) एस सी सी 428 में यह निर्णय दिया कि अधिकरण सरकार द्वारा जारी किसी ऐसी अधिसूचना जिसमें किसी संगठन को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है, के न्यायनिर्णय हेतु ऐसी अधिसूचना के आधार पर किसी संगम को विधिविरूद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारणों की मौजूदगी का निर्णय करने से पहले अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की विश्वसनीयता की जांच और परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रक्रिया तैयार कर सकता है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री विधिक साक्ष्यों तक ही सीमित होनी आवश्यक नहीं हैं। जमाएत-ए-इस्लामी हिन्द मामले (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पैरा 22 यहां उपयुक्त है तथा इसका सार नीचे दिया गया है:

"यह स्पष्ट है कि किसी संगम की विधिविरुद्ध गतिविधियां प्राय: गुप्त प्रकृति की हो सकती हैं और इसलिए लोक हित में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के साक्ष्य के स्रोत को गोपनीय बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थिति में ऐसी सूचना के स्रोत तथा इससे संबंधित पूर्ण विवरण को प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध हो सकता है। अधिनियम की रूपरेखा

तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों से प्रदर्शित जांच प्रक्रिया यह व्यवस्था देती है कि जब कभी भी लोकहित में अपेक्षित हो, गोपनीयता बनाई रखी जानी चाहिए। तथापि, संगम एवं इसके पदधारियों को संवेदनशील सूचना और साक्ष्यों के गैर प्रकटीकरण को लोक-हित में न्यायसंगत ठहराये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि अधिकरण को भी इन्हें देखने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में जहां अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि संगम एवं इसके पदधारियों को ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न करना लोक हित में है तो ऐसी स्थिति में वह संगम अथवा उसके पदधारियों को ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न करने की अनुमति दे सकता है किन्तु अधिनियम द्वारा यथापेक्षित न्यायनिर्णय के अपने कार्य के निष्पादन हेतु सूचना की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के लिए तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि क्या वह सुरक्षित रूप से इस पर कार्य कर सकता है, अधिकरण ऐसी सूचना को देख सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकरण किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारणों की मौजूदगी का निर्णय करने से पूर्व ऐसी उचित प्रक्रिया तैयार कर सकता है जिसके द्वारा वह स्वयं ऐसी सामग्री की जांच एवं परीक्षण कर सके। सामग्री केवल विधिक साक्ष्य तक ही सीमित नहीं होगी। इस प्रकार की प्रक्रिया, यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकरण का निर्णय, केन्द्र सरकार के कथनानुसार, केवल अपनी भूमिका निभाते हुए और अपने कार्यकरण का त्याग किए बगैर स्वीकार की गई सामग्री की विश्वसनीयता का आकलन करने के पश्चात् विवाद के बिन्दुओं पर किया गया न्यायनिर्णय है। ऐसी व्यवस्था, जनहित को खतरे में डाले बिना, संगम तथा इसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुकूल निर्धारित प्राकृतिक न्याय की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि न्यायनिर्णय की प्रक्रिया अपनी विषय-वस्तु से रहित नहीं है और अधिकरण ने अनततोगत्वा जो निर्णय दिया है वह विवाद के सभी बिन्दुओं के न्याय निर्णय पर आधारित है न कि केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही बना लिए गए दृष्टिकोण की स्वीकृति मात्र है।"

45. केन्द्र सरकार तथा त्रिपुरा राज्य ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि दोनों संगमों ने अपनी अलगाववादी, विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने कॉडरों को संगठित किया है, गुप्त सूचना विहित करते हुए सीलबंद लिफ़ाफ़ा प्रस्तुत किया गया है तथा अधिकरण ने इसका अवलोकन कर लिया है। ये दोनों संगम भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता की विरोधी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का प्रचार कर रहे हैं। दोनों संगम अवैध तरीके से प्राप्त किए गए शस्त्रों एवं गोलाबारूद के माध्यम से आम नागरिकों,

पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्याओं में बार-बार संलिप्त रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 3 (3) तथा धारा 3 (1) के तहत की गई घोषणा की पुष्टि के लिए पर्याप्त कारण दर्शाये हैं।

46. केन्द्र सरकार तथा त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर एवं दिए गए तर्कों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने पर मुझे सरकारी गवाहों की गवाही विश्वसनीय प्रतीत होती है तथा इन्हें दिनांक 03.10.2009 की अधिसूचना की पुष्टि करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

47. पूर्वोक्त कारणों से, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि एन.एल.एफ.टी. तथा ए.टी.टी.एफ. एवं उनके गुटों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं। तदनुसार यह अधिकरण विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा (3) की उप-धारा (1) के तहत दिनांक 3.10.2009 की अधिसूचना के तहत की गई घोषणा की पुष्टि करता है।

मार्च 25, 2010

[फा. सं. 11011/33/2009-एन ई-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2010

S.O. 904 (E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order, dated 25-3-2010, of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice G.S. Sistani, Judge, Delhi High Court to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) Organizations of Tripura as unlawful is published for general information.

BEFORE THE TRIBUNAL UNDER THE
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

IN THE MATTER OF:

NATIONAL LIBERATION FRONT OF TRIPURA

AND IN THE MATTER OF:

ALL TRIPURA TIGER FORCE

AND IN THE MATTER OF:

REFERENCE UNDER SECTION 4(1) OF THE
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

REPORT

1. On 3rd October, 2009, a notification being S.O. 2523(E) was issued by Mr. Naveen Verma, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to the effect that the Central Government is of the opinion that the activities of the National Liberation Front of Tripura and its various wings (hereinafter referred to as the NLFT) and the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations. Consequently, in exercise of powers conferred by Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as the Act), the Central Government declared the NLFT and the ATTF to be unlawful associations.

2. The Central Government was also of the opinion that there is a need to immediately curb and control the activities of these two associations and, therefore, it was of the opinion that it is necessary to declare them as unlawful associations with immediate effect, in exercise of powers conferred by Section 3(3) of the Act.

3. For the purposes of Section 3(1) of the Act, the Central Government was of the opinion that the NLFT and the ATTF have:

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives;

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the United Liberation Front of Asom (ULFA) and Meitei Extremist Outfits of Manipur with the aim of mobilizing their support;

(iii) in pursuance of their aims and objectives in recent past engaged in violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

4. In respect of the violent and unlawful activities, the Central Government included the following activities:

(a) Killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;

(b) Extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;

(c) Establishing and maintaining camps in neighbouring countries for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions, etc;

(d) Causing and fomenting communal clashes between the Tribal and non-tribal communities in Tripura.

5. For the purposes of exercise of power under Section 3(3) of the Act, it was stated that, unless their activities are immediately curbed and controlled, the NLFT and the ATTF would take the opportunity to:

(i) mobilize their cadres for escalating their secessionist, subversive, and violent activities;

(ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct illegal arms and ammunitions from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for their unlawful activities.

6. Under these circumstances, and in exercise of powers conferred by Section 5(1) of the Act, this Tribunal was constituted by a notification S.O. 2785(E) dated 30th October, 2009 issued by Mr. Ray Pratap Nath, Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India. By virtue of Section 4(1) of the Act, the Tribunal is required to adjudicate whether or not there is sufficient cause for declaring the NLFT and the ATTF as unlawful associations within the meaning of that expression defined under Section 2(p) of the Act.

7. In support of its case, the Central Government made a reference to the Tribunal and submitted details regarding the aims, objects and violent activities of the NLFT and the ATTF.

8. On 12th November, 2009, notice was issued by this Tribunal, to the NLFT and the ATTF to show cause why the NLFT and the ATTF

be not declared unlawful associations. It was directed that service be effected on the two associations at the addresses, as may be available, as also by publication in local newspapers circulated in the localities where the associations have their establishments or their presence is known, in the State of Tripura and outside. The publication was to be made both in English and in the regional vernacular language; as also by announcements in the electronic and print media; by affixation of the notice at conspicuous places of the office, if any of the said associations and by serving a copy of the notice where possible on the principal officer bearers, if any, of the associations at their address(es) by registered post or otherwise. It was also directed that a proclamation be made by beat of drums as well as loudspeakers, in areas where the activities of both the associations are believed to be ordinarily carried on, about the contents of the notice and the Gazette notification. It was further directed that the notice along with copy of the Gazette notification dated 03.10.2009 be displayed on the notice board(s) in the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District/Tehsil and the office of the Deputy Commissioner and market places, as feasible.

9. Pursuant to the order dated 12th November, 2009, the State of Tripura filed an affidavit dated 16th December, 2007 to the effect that service has been effected on the associations by giving adequate publicity to the notice. The Central Government also filed an affidavit dated 18th December, 2009, to the effect that the two associations

have been served as directed by this Tribunal in order dated 12.11.2009.

10. Despite service, there was no appearance on behalf of either of the two associations. Accordingly, by an order dated 17th March, 2010, both the NLFT and the ATTF were proceeded against ex parte.

11. In support of their case for declaring the NLFT and the ATTF as unlawful associations, the Central Government filed an affidavit dated 18th December, 2009 and the State of Tripura filed an affidavit dated 11th January, 2010. An additional affidavit dated 27th January, 2010 was also filed by the State of Tripura.

12. In the affidavit dated 18th December, 2009, of Mr. R.R. Jha, Director, Ministry of Home Affairs, filed on behalf of Central Government, it is stated that the NLFT was formed in June, 1989. In February, 2001, Nayanbasi Jamatia, one of the top leaders of NLFT, along with his followers formed a new group by the name of NLFT (N). A Memorandum of Settlement was signed with NLFT (N) on 17.12.2004, after which a few cadres of the NLFT (N) joined the mainstream. However, majority of cadres of NLFT, under the leadership of Biswamohan Debbarma, continued to indulge in violence. The ATTF was formed in 1993 and is led by Ranjit Debbarma. The professed aim of both the organizations is to establish a separate country by secession of Tripura from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organizations of the North Eastern Region.

13. It is stated that the ATTF as well as its political wing, namely, the Tripura People Democratic Front (TPDF) has been observing 'Black Day' on October 15 in protest against the merger of Tripura into India and has also been boycotting Independence Day/Republic Day celebrations every year. Along with some other organizations, it has been criticizing "annexation" of Tripura to India as 'illegal' and propagating the upholding of the sovereignty and independence of the State.

14. It is stated that the NLFT continues to remain active in three out of four districts of Tripura. The area of influence of NLFT includes remote areas in the Kanchanpur PS area of North Tripura District, Ambassa, Chamanu, Manu, Ganganagar, Gandacherra, Salema and Kamalpur PS areas of Dhalai district and Kalyanpur, Champahour, Teliamura, Mungaikami and Srinagar PS areas in West Tripura district. The dominance of the ATTF is confined to interior pockets of Sidhai, Mandai, Lefunga, Ranir Bazar, Takarjala, Khowai, Jirania, Teliamura, Kalyanpur and Champahour areas of West Tripura district.

15. It is stated that the leaders of the NLFT stay in camps in Bangladesh and frequently visit Tripura for carrying out their activities. The headquarters of the association is in Bangladesh and it has its hideouts and shelters in that country. Most of the violent incidents in Tripura have been planned and executed by the NLFT from Bangladesh. The organization maintains close nexus with the other North East insurgent groups particularly the National Socialist

Council of Nagaland (Issac-Muivah) and National Democratic Front of Boroland (NDFB) for procurement of arms and training. The organization also maintains links with ISI of Pakistan.

16. Similarly, the ATTF also has training camps, hideouts and shelters in Bangladesh and maintains close links with other terrorist organizations of the North-East especially for the purpose of procurement of arms and training facilities. The ATTF has also been utilizing the territory of Bangladesh for committing violence in Tripura and for procuring arms. It is also maintaining links with ISI of Pakistan.

17. It has further been stated in the affidavit that the areas covered by 40 police stations in the State (34 Police Stations in full and 6 Police Stations in part) have been declared as disturbed areas by the State of Tripura under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 and despite the declaration of these two organizations as 'unlawful associations' under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 196 for quite some time, violence and extortion activities by both the organizations have continued.

18. It is stated that the attacks on non-tribals have given rise to frequent ethnic tension between the tribals and the Bengalis as a result of which innocent people have fallen victim causing a wide schism between the tribals and non-tribals in the State creating a volatile ethnic situation. It is stated that of-late security forces and tribals have become the main targets of the violence of the NLFT and

a large number of security forces personnel have been killed and extortion, looting, kidnapping, abduction etc. is quite rampant. During the month of December, 2008, the outfit targeted the Border Security Force (BSF) party, escorting border-fencing workers, on four occasions. In these attacks 5 persons, including 3 BSF personnel, were killed and 5 persons, including 3 BSF personnel, received injuries. Main source of income of the outfit is through extortion, looting and kidnapping/abductions for ransom. The outfit has also been issuing "tax notices" in the name of 'Revenue & Tax Department, Government of Twipra Kingdom' and continues to target the companies engaged in border fencing project and beneficiaries under National Rural Employment Guarantee Act-2005 in the State for the purpose. The violence of the outfit is mainly dictated by the need for raising large amounts of money, which is utilized for purchasing or arms and ammunitions, housing and stay of its leaders/cadres in Bangladesh, the running of training camps and to meet the day-to-day expenditure of the outfit.

19. As regards the ATTF, it is stated that it has been indulging in extortion of money from businessmen and Government employees in the name of ideology and has also resorting to abduction for ransom. While the violence by the ATTF had shown significant decrease during the last few years largely because of disenchantment among its cadres over the functioning of the outfit the arrogant attitude of its leaders and wide spread public opinion against violence, the outfit retains its striking prowess as it evident from the serial explosions

(IED) of 01.10.2008 engineered by the outfit, in which 74 people suffered splinter/burn injuries. The outfit also remains stubborn regarding negotiations saying that it would participate only if talks would be held on the issue of 'sovereignty' in the presence of a representative of United Nations.

20. The deponent along with his affidavit has filed an annexure wherein details of some incidents, committed by the NLFT and the ATTF in 2007, 2008 and 2009 (till 31st July) have been given. These incidents/details have also been referred to in the documents filed by the State of Tripura and will be dealt with at the appropriate stage.

21. The State of Tripura has also filed an affidavit and produced 14 witnesses to support the declaration.

22. In the affidavit filed on behalf of the State of Tripura, documents enlisted below have been tendered: -

A. Copy of the constitution of NLFT, Ex.P-8/W-1 (Colly).

B. Copy of the constitution of ATTF, Ex.P-8/W-2 (Colly).

C. Copy of the tax notice issued by Government of Twipra Kingdom, led by the NLFT, Ex.P-8/W-4.

D. Copy of the tax circular issued by Government of Twipra Kingdom, led by the NLFT, Ex.P-8/W-3.

E. A list of extremists camps of NLFT and ATTF situated in Bangladesh, Ex.P-6/W-1.

F. A list of heinous crimes committed by the NLFT and ATTF during the years 2008 and 2009, Ex.P-3/W-1 along with certified copies of the FIRs. Ex.P-3/W-1 (Colly).

G. Statistics of security personnel and civilians killed/ injured due to extremists attacks by the above two organizations during the years 2008 and 2009.

H. Copies of interrogation reports of arrested/surrendered extremists, Ex.P-6/W-2 (Colly) and Ex.P-6/W-3 (Colly).

23. The State of Tripura by way of an additional affidavit has placed on record charge sheet filed in FIR No.157 of 2008 dated 1.10.2008 registered at East Agartala (West Tripura District) in connection with series of explosions in Agartala Town on 1.10.2008, Ex.P-3/W-2 (Colly). It is stated in the additional affidavit that ATTF militants carried out series of explosions at Agartala Town on 01.10.2008 in which a number of people were killed and seriously injured due to the said violent activities of the members of the banned organization.

24. The State of Tripura has produced the following 14 witnesses: -

1) Mr. Santanu Das, District Magistrate and Collector, West Tripura District.

2) Mr. Brijesh Pandey, District Magistrate, Dhalai District.

3) Mr. K. V. Sreejesh, Superintendent of Police, West Tripura District

4) Mr. Lalhminga Darlong, Superintendent of Police, North Tripura District

5) Mr. Gopala Krishna Rao, Superintendent of Police Dhalai District

6) Mr. G.Sriniwasa Rao, Superintendent of Police, Special Branch Tripura

7) Mr. Hari Mohan Das , Superintendent of Police, Central Agartala, West Tripura

8) Mr. Dhirendra Chandra Das, Superintendent of Police, CID, Tripura

9) Mr. Ratan Majumder, Deputy Superintendent of Police, Tripura

10) Mr. Kamal Krishna Kolai, Officer in charge, Police Station Mungaikami, West Tripura District

11) Mr. Amendra Deb Barma, Officer in charge, Police Station Manikpur, Dhalai District

12) Mr. Ravindra Pratap Singh, Inspector 'B' Company, 77 Bn. BSF, West Tripura

13) Mr. Debabrata Das, Section Engineer, N.F.Railways, Assam

14) Mr. Saradindu Chaudhuri, Deputy Secretary (Home), Govt. of Tripura

25. Witness No.1 to 13 have filed separate affidavits and have tendered their respective affidavit filed as evidences apart from making depositions before this Tribunal on 17.03.2010 and 18.03.2010. Their depositions are being summarized as under: -

PW-1 who is working as the District Magistrate of West Tripura district, deposed that the show cause notice dated 12.11.2009, has been published under his instructions in five local English newspapers and three local vernacular newspapers by the concerned Department of the State Government. The original newspapers were produced before this Tribunal and photo copies of the same are placed on record exhibited as Ex.P-1/W-2 (Colly). He further deposed that wide publicity to the show cause notice was given through the All India Radia, Agartala and Doordarshan Agartala. The confirmation of the above by the concerned Department is also placed on record as Ex.P-1/W-3 (Colly). The show cause notice was also displayed on the official website of the State of Tripura through the National Informatic Centre. Printout of the website has also been filed and exhibited as Ex.P-1/W-4. While giving his

statement before the Tribunal, PW-1 deposed that and during the course of his duties, he has to visit areas under his jurisdiction, to take stock of developmental activities. There are 16 blocks under his jurisdiction, which consists of 400 villages. During his interaction with the locals of the area, he has learnt that the members of the NLFT and the ATTF and their factions are involved and responsible for subversive activities in the area, with the objective of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Tripura' by liberating Tripura from the Indian Union. During the last Republic Day and Independence Day these organizations had called for boycott and raised black flags in the interiors to restrain the public from participating in the celebrations.

PW-2, the District Magistrate, Dhalai District, deposed that ban on these organizations was imposed for the first time in the year 1997. Since the organizations have continued in their secessionist and violent activities and they remain banned. He produced copies of the notifications issued by the Government of India declaring the two organizations as unlawful. Copies of the five such notifications issued in the years 1997, 1999, 2005, 2007 and 2009 have been placed on record and are marked as Ex.P-2/W-1 (Colly). He also deposed that during interactions with the local people as also from secret informers, he has learnt that the members of the NLFT and ATTF and their factions are involved and responsible for subversive activities in the area, with the objective of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Tripura' by liberating Tripura from the Indian Union. During the last Republic Day and Independence Day these organizations had called for boycott and raised black flags in the interiors to restrain the public from participating in the celebrations. They have been indulging in secessionist and subversive activities which

threaten the sovereignty of the country, disturbs public orders, development in the State and creates terror amongst the people. It has been corroborated from reliable sources that these organizations have procured lethal weapons such as landmines, rocket launchers, RPGs etc. PW-2 further deposed that on 22.02.2010, the security force personnel were attacked by the cadres of the ATTF and the NLFT which resulted in injuries to the security force personnel. FIR No. 13/10 dated 22.02.2010 was registered in PS Manu, of his district, in this regard. A certified copy of the same was tendered in evidence and is exhibited as EX.P-2/W-2.

During the course of his examination in chief, PW-3 has produced a gist of FIRs, details of which has been set out in his affidavit. Carbon copies of the FIRs mentioned in the gist were produced before this Tribunal. The gist and the certified copies of the FIRs are placed on record and exhibited as EX.P-2/W-1 (Colly) and EX.P-3/W-2 (Colly), respectively. He has deposed that during the course of his duties as Superintendent of Police, West Tripura he has come to know that the NLFT and the ATTF and their factions are involved and responsible for subversive activities in the area, with the objective of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Tripura' by 'liberating Tripura from the Indian Union'. They have been indulging in secessionist and subversive activities which threaten the sovereignty of the country, disturbs public order, development in the State and creates terror amongst the people. They have procured lethal weapons such as landmines, rocket launchers, RPGs, etc which they are using against the security forces. During the last Republic Day and Independence Day these organizations had called for boycott and raised black flags in the interiors to restrain the public from participating in the functions. He further deposed that besides the incidents mentioned in his affidavit, even on

15.11.2009, there was a firing incident by the members of the NLFT on the security forces without there being any provocation. A case was registered in PS Mungaikami, falling within his district. Certified copy of the FIR has been placed on record and exhibited as Ex.P-3/W-3. PW-3 further stated that although there is no incident reported thereafter in West Tripura, where he is posted, however, he has come to learn about another incident where the members of the ATTF and the NLFT had attacked security forces in March, 2010.

PW-4, Superintendent of Police, North Tripura District, has specifically deposed in his evidence that the four FIRs out of the 24 FIRs mentioned in para 2 of his affidavit, pertain to his District, Certified copies of the FIRs are placed on record and exhibited as Ex.P-4/W-1 (Colly). This witness has also categorically deposed that there was an incident in November, 2009, in his District in which 8 persons were killed by the NLFT and a case stands registered with PS Kanchanpur. Certified copy of the said FIR dated 10.11.2009 is placed on record and exhibited as Ex.P-4/W-2 He further deposed that during the course of his duties, as well as on the basis of secret information received and the incident, which took place in November, 2009, the members of the ATTF and the NLFT and their factions are involved and responsible for subversive activities in the area, with the objective of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Tripura' by 'liberating Tripura from the Indian Union'. They have been indulging in secessionist and subversive activities which threaten the sovereignty of the country, disturbs public order, development in the State and creates terror amongst the people. They have procured lethal weapons such as landmines, rocket launchers, RPGs, etc which they are using against the security forces. During the last Republic Day and Independence Day these

organizations had called for boycott and raised black flags in the interiors to restrain the public from participating in the functions.

PW-5, Superintendent of Police, Dhalai District, Tripura. He categorically stated in his examination-in-chief that he has brought the carbon copies of FIRs mentioned at S. No. 19 to 24, in para 2 of his affidavit. The said FIRs pertain to the incidents, which had taken place in the jurisdiction of his district. The certified copies of the FIRs have been placed on record and exhibited as Ex.P-5/W-1 (Colly) and Ex.P-5/W-2 (Colly). He further deposed that besides the incidents mentioned above, three other incidents had taken place in the month of November, 2009; February, 2010; and March, 2010, for which separate FIRs were lodged. He categorically stated in his evidence that in the incident of November, 2009, in an ambush one Rifleman lost his life. In the incident of February, 2010, one Rifleman was injured and in the incident of March, 2010, firing took place by the members of the NLFT. All the three incidents pertained to NLFT group. Certified copies of the FIRs are placed on record and exhibited as Ex.P-5/W-3 (Colly). This witness further categorically deposed that deposition made in his affidavit was on the basis of incidents which had taken place as well as on the basis of intelligence reports received from the Special Branch of the State, Department of Home, with regard to involvement of members of the AATF and NLFT in subversive activities in the State of Tripura.

PW-6, the Superintendent of Police (Special Branch), Tripura, vehemently deposed in his evidence that the NLFT and the ATTF are underground extremist organizations and are indulging in extremist activities and extortion on the basis of circulars issued by the associations, under the garb of illegal recovery of tax, copies of one such circular and notice were placed on record and exhibited as Ex.P-8/W-3 & Ex.P-

8/W-4, respectively. He further stated that such circulars are recovered either from the villagers or at the time of surrender of member(s) of the said organizations or when the raids are conducted. Circular (Ex.P-8/W-3) was recovered pursuant to a raid conducted on 28.6.2008, and is subject matter of an FIR number of which is endorsed on the copy of the circular itself at point 'G'. He specifically stated that he has personal knowledge that such circulars continue to be issued on the basis of which poor villagers are made to pay money to these organizations. During the course of his duties and on information received, a list of extremist camps of the NLFT and the ATTF, operating in Bangladesh has been prepared and placed on record at page 70 of the paper book, which is exhibited as Ex.P-6/W-1. He further deposed that he is In-charge of the Interrogation Cell, where the militants are interrogated after being arrested or on their surrendering and the interrogation is conducted by a team of interrogators including the DSP and representatives of BSF, CRPF, Assam Rifles, Special Bureau, Intelligence Bureau etc. He also produced the interrogation reports dated 16.6.2009 and 04.01.2009. Copies thereof have been placed on record and exhibited as Ex.P-6/W-2 (Colly) and Ex.P-6/W-3 (Colly). This witness also deposed that the intelligence reports are also collected by the Special Branch on the basis of secret information received from various sources.

PW-7 is working as Deputy Superintendent of Police (Central) Agartala, West Tripura, who deposed before this Tribunal that the incidents mentioned in paras 3 to 8 in his affidavit are subject matter of the illegal and subversive activities of ATTF. In the incident held on 1.10.2008, four bomb blasts took place and one live bomb was detected at Motor Stand on the same evening. On 5.10.2008, another bomb was detected near Radhamadhab Mandir and was defused by Bomb Disposal Team. A mobile phone with a

SIM card attached with the bomb was recovered and seized. Six cases were registered under various Sections of Indian Penal Code, copies of which have been placed on record. He further deposed that on the basis of the field information and on his personal knowledge, he state that both the organizations the ATTF and the NLFT continue with their illegal and unlawful activities in the State of Tripura.

PW-8 is the Deputy Superintendent of Police, CID, Tripura. He deposed that he is posted as Dy. SP (CID), since the year 2009 and during the course of his duties, he had come across the illegal constitution of NLFT and tax circular, circulated by the NLFT in the State of Tripura. Copy of the tax circular is placed on record and exhibited as Ex.P-8/W-3 and the tax notice of NLFT, recovered from the possession of extremists pursuant to an encounter dated 28.6.2008 by the security agencies in the State of Tripura, is placed on record at page 68 of the paper book and the same is exhibited as Ex.P-8/W-4. Copies of illegal Constitution of the NLFT and the ATTF have been also placed on record and exhibited as Ex.P-8/W-1 (Colly) and Ex.P-8/W-2 (Colly), respectively. He further made the categorical deposition that as per the information received, the ATTF and the NLFT and their factions are carrying out illegal activities in the State of Tripura, with the objective of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Tripura' by creating terror in the minds of the people.

PW-9, who is also working as Deputy Superintendent of Police, CID, Tripura, Agartala appeared before this Tribunal and deposed that the ATTF is an underground extremist organization, which has illegally framed its Constitution, copies of which have been circulated in the State of Tripura in a clandestine manner. Copy of the Constitution of the ATTF stood already exhibited as Ex.P-8/W-2. He further deposed that on 1.10.2008, the ATTF

militants carried out series of explosions at Agartala town, wherein large number of people were seriously injured and a detailed investigation was carried out, charge sheet in the matter has been filed and the case is pending. He categorically stated that both the organizations ATTF and NLFT and their factions are involved and responsible for subversive activities in the State of Tripura with the aim and object of liberating Tripura from the Indian Union. He further deposed that based on intelligence reports and field exercises carried out, he has the personal knowledge that both the associations have procured lethal weapons such as land mines, Rocket Launchers, RPGs, etc., which are being used against the security forces.

PW-10 is the Officer-in-charge of Mungaikami Police Station, West Tripura, who has been working at Mungaikami Police Station since 2007. He stated that for the incident dated 26.4.2008, which is detailed in para 3 of his affidavit, an FIR being No.09/2008 was lodged under Sections 148/149/302/364(A) IPC in the PS Mungaikami, copy of the said FIR is also available and already stood exhibited as Ex.P-3/W-2 (Colly). He further stated that in the said incident, a group of 6-7 NLFT armed extremist abducted Sri Debabrata Das, Section Engineer, N.F. Railways, Agartala, from the work site of Railway, which is under the jurisdiction of his police station and also shot dead Shri Dhirendra Deb Nath, Mason, N. F. Railway. The personnel of Tripura State Rifle group chased the extremists but due to cover of dense forest the group escaped, the rescue operations were undertaken and abducted person was rescued.

PW-11 is working as officer-in-charge of Manikpur Police Station, Dhalai District. He deposed that based on his personal information NLFT and ATTF and its various factions/wings are active within the State of Tripura and in an incident, which took place on 29.11.2008 a BSF party

consisting of one officer and nine jawans along with three civilians were going to Border Out Post at Garjan Pasa from Border Out Post at Sher. About 2.5 kms. from the Border Out Post at Sher a group of 30–35 armed extremists was waiting to ambush the BSF party and when the BSF party reached the ambush point, militants opened heavy fire with automatic weapons and exploded IED (Improvised Explosives Device) on the BSF party. They also lobbed hand grenades in the driver's cabin. The BSF party retaliated the attack. In the heavy exchange of fire three BSF personnel and one civilian were killed on the spot and two persons were seriously injured. Two vehicles carrying the BSF party were also damaged. He stated that an FIR being No.08/2008 dated 29.11.2008, has been registered under Sections 148/149/353/326/307/302 IPC at Police Station Manikpur, where this witness is the officer-in-charge. He stated that he had brought the carbon copy of the original FIR (which was seen by the Tribunal and returned). He categorically deposed that as per his knowledge, the NLFT and the ATTF are still active in the State of Tripura and are carrying out illegal activities.

PW-12 is posted as Inspector 'B' Company, 77 Bn., BSF, Fatikcherra, West Tripura. He deposed that at the time when the incident dated 29.11.2008 took place, he was at the Battalion Headquarters and on receipt of the information, he along with other members of the BSF reached the site after the incident and found that three BSF Jawans as well as one civilian had been killed, vehicles of BSF were damaged and heavy firing had taken place, besides one civilian, one BSF personnel was also seriously injured. An FIR being no.08/2008 was lodged, which already stood exhibited as Ex.P-5/W-1 (Colly).

During his examination, PW-13, who is Section Engineer in N. F. Railways, presently posted at Assam,

deposed that in the incident which took place on 26.04.2008 a group of 6-7 armed extremist abducted him from his work site and shot dead Dhirendra Deb Nath, Mason, N.F. Railways, however, he was rescued by the police. He further deposed that during the course of his abduction, he learnt that the persons, who had abducted him belonged to the NLFT and that their intention was to set up a separate State; that they are interested in forming their own State; that they were having large quantity of arms and ammunitions and want to cause terror in the minds of the people at large. He further stated that they were also involved in illegal extortion of money from the people at large in the state by way of circulating illegal tax notices and their further intention was to disturb the construction work of the railway line. He also stated that the members of the NLFT, during the course of their conversation with him and also amongst themselves were threatening that they would disrupt the activities of the state in order to achieve their aim of an independent 'Borokland Tripura' by liberating Tripura from the Indian Union; and would not mind killing and extorting money in pursuance thereto. He categorically deposed that the members of the association, during that time, also claimed that they were working in association with the representatives of the ATTF to achieve the said objective. He also named the two of the members, whose name he could recall as Mr. Santosh and Mr. Sampa, who were carrying arms and ammunitions.

PW-14 is the Deputy Secretary (Home), State of Tripura, who had brought intelligence reports in a sealed cover. He made a request to this Tribunal that, taking into consideration the nature and sensitivity of the information, the sealed reports may be opened and perused by this Tribunal only (the sealed cover was opened by the Tribunal and contents thereof perused). He deposed that on the

basis of the secret information, contained in the sealed cover, he had submitted a report to the Central Government on 31.07.2009. He further deposed that as per the intelligence reports, the two organizations i.e. NLFT and ATTF are continuing with their illegal and subversive activities and are also disrupting and causing terror in the minds of public at large as well as attempts are being made for extorting the money and that they are also threatening to disrupt the development work in the Sate of Tripura.

26. The Central Government has produced Mr. R. R. Jha, Director, Ministry of Home Affairs, Govt. of India as its witness (PW-15), who deposed in his examination in chief that he is the Director in the Ministry of Home Affairs, New Delhi. He deposed that he has brought a file in a sealed cover giving details of the secret information received from the Intelligence Agencies, Security Forces and the Government of Tripura with respect to the activities of the two associations for perusal of the Tribunal and to enable the Tribunal to come at a finding in the matter. The said sealed cover was opened and contents thereof were perused.

27. I have heard the arguments advanced by Mr. A. S. Chandhiok, learned Additional Solicitor General, appearing on behalf of the Union of India and Mr. Gopal Singh, learned Counsel, who appeared on behalf of the State of Tripura and had given anxious consideration to the same.

28. The learned counsel appearing on behalf of the Central Government and the State of Tripura have argued that the Notification dated 03.10.2009, by which the NLFT and the ATTF were

declared as unlawful associations, be confirmed by this Tribunal based on the evidence of witnesses who have proved that the said associations had continued to indulge in various unlawful criminal activities during the last two years and, therefore, according to them, there were sufficient reasons with the Government to declare the said associations as unlawful vide Notification dated 03.10.2009 sent to this Tribunal for adjudication.

29. I have carefully perused, weighed and evaluated the evidence for the Notification dated 03.10.2009 produced before me by both Union of India and the State of Tripura.

Evaluation of Evidence placed on record :

30. The constitution of the NLFT exhibited as Ex.P-8/W-1 (Colly) along with its preface seems to have been adopted by the Central Committee of the NLFT on 15th November, 1994.

> *(a) The preface to the constitution contains the basis for the subversive movement of the NLFT in Tripura. It is mentioned, inter alia, that the indigenous people known as Borok have been completely marginalized by the continuing influx of immigration of foreign nationals and that the indigenous people are being exploited, oppressed and suppressed due to the menacing chauvinism and imperialism of India. There is a threat to the language, customs and religions of the indigenous people and there is a cultural genocide that is being practised. It is also stated that the Government of India has imposed draconian laws such as Armed Forces Act, 1958, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, and the National Security Act on indigenous Borok people of Tripura to prevent insurgency. It is alleged that this is the regular practice of imperialist India to uproot the indigenous people from their homeland. It is stated that under these circumstances, the nationalist Borok youth congregated at Gonda Twisa on 12th March, 1989 and formed the NLFT as well as its armed wing, that is, the Borok Army on 11th*

December, 1991 through the arms operation offensive on Twinani outpost under Udaipour Sub-division.

(b) According to the preface, the aims and objectives of the NLFT include the overthrow of imperialism, capitalism and neo-colonialism from the 'Country' by an armed struggle for distinct and independent identity of the Borok civilization of Twipra; to liberate Borokland Twipra and establish a People's Republic Government; to free the Borok nation from the social, economic and political exploitation, oppression, suppression and neo-colonization and to further the cause of the traditional indigenous culture and beliefs of the people, etc. To materialize the liberation of Borok civilization, the constitution has been drafted and approved in the Central Executive meeting held on 15th November, 1994.

31. The constitution of the NLFT states that it has been resolved to constitute a revolutionary organization to liberate the Borokland Twipra for the distinct and independent identity of Borok civilization and to promote liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Thereafter, the emblem and official language of the Borok people of Twipra have been described. Chapter II of the constitution describes the eligibility and procedure for enrollment of members of the NLFT, while Chapter III deals with the rights, duties and obligations of the members of NLFT. The organizational structure of the party which includes its office bearers such as the President, Vice President, Secretary General, Foreign Secretary, Finance Secretary, Home Secretary, Judicial Secretary, etc. has been set out in the Chapter IV of the constitution. The functions of the various authorities have been indicated in Chapter V of the Constitution. The area of operation of the NLFT has been indicated in Article 32 of the constitution (Chapter VI) and it includes the united state of Twipra,

Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Nepha (Arunachal) and Sikkim.

32. Similarly, the constitution of the ATTF is also placed on the record, exhibited as Ex.P-8/W-2 (Colly). The motive and objective of the ATTF is to utilize all its strength through an armed struggle without any compromise for the existence of 19 point interest of tribals under the Constitution of India. The ATTF says that it will fight for the fulfillment and application of all decisions accepted in the Indian Parliament. The seven States of the north-east; i.e. Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh and Meghalaya will form a separate country and for this the ATTF will support all sorts of movements and will utilize their own force for that purpose. The ATTF will fight against squeeze, torture, oppression upon tribals and for the struggle of their freedom. Article 5 of the constitution of the ATTF deals with law and power whereas Article 6 deals with discipline and restrictions. Article 8 deals with public relations and Article 11 deals with contribution and membership collection process. Article 12 deals with the structure of the ATTF and all persons from the President to a Major will be the members of the Central Committee. The ATTF will have two regiments, one called the Bir Bikram Regiment and the other as the Borok Regiment. The formation of the organization has been mentioned and the Commander-in-Chief of the ATTF will control all bus and regiments of the force. The ATTF has its own flag and symbol.

33. The aforesaid constitutions of both the NLFT and the ATTF intend to establish a separate country and neither of them accept their subsistence under the Constitution of India, although the ATTF agrees with certain principles of the Constitution of India which it seeks to enforce through its own constitution. This clearly shows that the NLFT and the ATTF promulgate a secessionist ideology and do not accept the north-eastern states to be part of Union of India or at least expect the north-eastern States to form a separate country. The two associations, therefore, are indulging in unlawful activities as defined in Section 2(o)(i) of the Act.

34. In pursuance of their objectives, the two associations have established the Government of Twipra Kingdom. The documents exhibited as Ex.P-8/W-3 and Ex.P-8/W-4 which are circular and notice issued by the Government of Twipra Kingdom, respectively, demanding payment of some taxes, are placed on record before this Tribunal. The said notice has been signed by a person allegedly claiming to be the Secretary, Revenue and Tax Department, Government of Twipra Kingdom. These documents suggest that efforts are being made by the NLFT and the ATTF to raise funds beyond the law of India and it clearly indicates that the same is done for arranging finances for running a parallel government.

35. In support of its case, that the NLFT and the ATTF carry out violent and unlawful activities, spread terror and violence among the public at large for achieving their objectives, the State of Tripura has filed a chart showing statistics of the number of persons killed, injured

and kidnapped (including security personnel) from 3rd October, 2007 to June 2009 in the incidents relating to the ATTF and the NLFT. The same reads as follows:

	2007 (03.10.07 to 31.12.07)	**2008**	**2009** (up to June)	**Total**
Persons killed	02	10*	-	12
Persons injured	01	71#	08	80
Person kidnapped/ abducted	09	30	01	40

* Including 3 BSF personnel, # includes 66 injured in serial blast in Agartala

36. The State of Tripura has also filed copies of FIRs with respect to the killings of civilians and security personnel, kidnapping, abduction and demands for ransom made by the associations. Certified copies/carbon copies of the originals were produced by the State and copies thereof have been exhibited as EX.P-2/W-2, EX.P-3/W-2 (Colly), EX.P-3/W-3, EX.P-4/W-1 (Colly), EX.P-4/W-2, EX.P-5/W-1 (Colly), Ex.P-5/W-2 (Colly) and Ex.P-5/W-3 (Colly). Few of the FIRs registered during the recent past and also placed on record are mentioned hereunder: -

(i) Ex.P-2/W-2 is an FIR registered in Police Station Manu on 22nd February, 2010, which records that 4-5 members with sophisticated Arms in OG dress opened fired upon a party of TSR personnel in which a member of the TSR was severely;

(ii) Ex.P-3/W-3 is FIR No. 14/2009 registered in Police Station Mungaikami on 17th November, 2009, which records that Suren Debbarma along with a group of

NLFT members with sophisticated Arms ambushed a party of TSR and opened fired upon the said party, in which incident TSR personnel retaliated to save their lives as also arms and ammunitions;

(iii) *Ex.P-4/W-2 is FIR No.78/09 dated 10th November, 2009 registered at P.S. Kanchanpur, North Tripura District wherein on 9th November, 2009 at about 10.30 PM a group of 10-12 unknown NLFT armed cadres killed eight persons there; and*

(iv) *Ex.P-5/W-3 is FIR No.15/2010 dated 5th March, 2010 registered at P.S. Manu, District Dhalai, Tripura wherein it has been reported that on 2nd March, 2010 at 7.30 PM, a group of 20 SOG personnel of 4th Battalion of TSR, on special duty, were attacked in Village of Satpara by the cadres of NLFT and after exchange of fire, the extremist cadres were managed to escape. During search, five empty AK-47 rounds were recovered, which were handed over to the Office In-charge, P.S. Manu, District Dhalai.*

37. The large numbers of FIRs registered in various police stations in almost all areas in the State of Tripura indicate that, over a period of time, an organized plan was put into operation by the cadres of the associations to attack police personnel and to kill civilians, indiscriminately. There are various incidents of kidnapping and abduction. It is worth mentioning that all these activities collectively show that the NLFT and the ATTF extremists are not only carrying out subversive activities but also have spread terror among the local inhabitants through violence. There have been systematic attempts both by the NLFT and ATTF extremists to subvert the law of the land and their activities would clearly fall within the definition of 'unlawful

activities' as defined in Section 2(o) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, which reads as follows: -

> "(o) "unlawful activity", in relation to an individual or association means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise), —
>
> (i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cessation of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cessation or secession.
>
> (ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or
>
> (iii) which causes or is intended to cause disaffection against India;"

38. It is clear from the above definition that an 'unlawful activity' defined in clause (o) means 'any action' of the kind mentioned therein and having the consequences mentioned. In other words, 'any action' taken by such individual/association constituting an 'unlawful activity' must have the potential specified in the definitions. Determination of these facts constitutes the foundation for declaring an association to be unlawful under Section 3 (1) of the Act. Clause (p) of Section 2 of the Act defines 'unlawful association' with reference to 'unlawful activity' in sub-clause (i) thereof, and in sub-clause (ii) the reference is to the offences punishable under Section 153-A or Section 153-B of the Indian Penal Code. In sub-clause (ii), the objective determination is with reference to the offences punishable under Section 153-A or Section 153-B of the IPC while in

sub-clause (i), it is with reference to 'unlawful activity' as defined in clause (o). These definitions make it clear that the determination of the question whether any association is, or has become, an unlawful association, justifies such decision and the determination should be that 'any action' taken by such association constitutes an 'unlawful activity' which is the object of the association.

39. The intelligence reports produced by the PW-15, supports the case of the Union Government. However, it may not be appropriate to divulge the details of these documents. The crux of these documents is as follows: -

(a) Both the associations are continuing with their secessionist activities and there is no change in their demand for succession of Tripura from the Indian Union and creation of a separate "Twipra Kingdom".. While the NLFT has been demanding a separate country since its inception, the secessionist tendencies of the ATTF have become more pronounced with its political wing, the TDPF formed in 1997, talking of national freedom through an armed movement against "Indian occupation forces" and independence from "colonial bondage".

(b) The NLFT has been advocating tribalism and it discards all sorts of relations with non-tribals in the State. The NLFT cadres target non-tribals who have become, of late, the main target of its violence.

(c) The main demands of the ATTF include:

(i) All illegal migrants who have entered Tripura after 1956 should be identified and evicted from the State.

(ii) All illegally alienated tribal lands should be restored to tribals and a separate Tribal Reserve Area should be constituted.

(d) Among the arms and ammunitions possessed by the NLFT, there are lethal weapons such as automatic weapons including AK series rifles, rocket launchers and mines/ IEDs while the ATTF also possesses a large

number of weapons including AK series rifles, grenade/rocket launchers and mines/IEDs. Both the NFT and the ATTF are engaged in violent activities resulting in killing of security personnel, civilians, undermining the authority of the State and spreading terror, violence and fear among the common people for achieving their aims objectives. Both the associations have established and maintained camps in a neighbouring country for the purpose of escaping, training and procurement of arms and ammunition.

(e) The main object of both the associations seems to be the secession of Tripura from Union of India and to achieve their professed objective they are engaged in intimidation, extortion and looting of civilian population for raising of funds. They are also learnt to have made efforts to establish contacts with other hostile organizations for influencing public opinion.

(f) According to the view point of the Union Government and the State of Tripura, lifting of ban from the said associations and any laxity in counter insurgency operation would give the associations an opportunity to recoup. There is also a need to intensify counter insurgency operations against the associations in order to maintain pressure and to choke its money supply through extortion.

40. In the affidavit filed in evidence by PW-15, it has been categorically mentioned that efforts have been made by the cadres of both the associations to target non-tribals and security personnel and thewse attacks on non-tribals have given rise to frequent ethnic tensions between the tribals and the Bengalis in the recent past in which innocent people have fallen victim and which has caused a wide schism between the tribals and non-tribals in the state leading to volatile ethnic situation and therefore, the Central Government was of the opinion that circumstances exist which render it necessary to give effect to the notification declaring these associations as 'unlawful' with immediate effect.

41. The evidence produced both by the Central Government and the State of Tripura, coupled with the absence of any denial of these facts by the NLFT or by the ATTF or any contest by either of them, the submission of learned counsel for the State of Tripura should be accepted and it must be held that these documents manifest an intention of the NLFT and the ATTF to create a divide between tribals and non-tribals, which is an unlawful activity under Section 2(o) of the Act inasmuch as it seeks to provoke a group of individuals to secede from the Union of Indian.

42. A collective analysis of the entire evidence on record leaves no room for doubt that the activities of the NLFT and the ATTF are unlawful and that the conclusion of the Central Government that both the associations have been engaging in subversive and violent activities, undermining the authority of the Central Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives is fully justified. The opinion of the Central Government that both the associations are maintaining relations with other unlawful associations with the aim to mobilize support and that they are engaged in violent and unlawful activities, in pursuance of their aims and objectives, which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India is also justified.

43. The Central Government as well as the State of Tripura have led sufficient evidence in support of the conclusion that both the associations have indulged in killing civilians and personnel belonging to police and security forces, extortion of funds from the public at

large in Tripura, establishing and running camps in a neighbouring country for the purpose of safe shelter, training, procurement of arms and ammunition etc. and causing communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura.

44. The Hon'ble Supreme Court in *Jamaat-E-Islami Hind Versus Union of India*; **1995 (1) SCC 428** has held that the Tribunal adjudicating a Notification issued by the Government banning an organization as an unlawful association can devise a suitable procedure to examine and test the credibility of the material placed before it, before it decides to accept the same for determining the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. It was held by the Hon'ble Supreme Court in this case that the material placed before the Tribunal need not be confined only to legal evidence in the strict sense. Para 22 of the judgment of the Supreme Court in Jamaat-E-Islami Hind's case (supra) is relevant and is extracted below :-

> *"It is obvious that the unlawful activities of an association may quite often be clandestine in nature and, therefore, the source of evidence of the unlawful activities may require continued confidentiality in public interest. In such a situation, disclosure of the source of such information, and, may be, also full particulars thereof, is likely to be against the public interest. The scheme of the Act and the procedure for inquiry indicated by the Rules framed thereunder provide for maintenance of confidentiality, whenever required in public interest. However, the non-disclosure of sensitive information and evidence to the association and its office-bearers, whenever justified in public interest, does not necessarily imply its non-disclosure to the Tribunal as well. In such cases where the Tribunal*

is satisfied that non-disclosure of such information to the association or its office-bearers is in public interest, it may permit its non-disclosure to the association or its office-bearers, but in order to perform its task of adjudication as required by the Act, the Tribunal can look into the same for the purpose of assessing the credibility of the information and satisfying itself that it can safely act on the same. In such a situation, the Tribunal can devise a suitable procedure whereby it can itself examine and test the credibility of such material before it decides to accept the same for determining the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The materials need not be confined only to legal evidence in the strict sense. Such a procedure would ensure that the decision of the Tribunal is an adjudication made on the points in controversy after assessing the credibility of the material it has chosen to accept, without abdicating its function by merely acting on the ipse dixit of the Central Government. Such a course would satisfy the minimum requirement of natural justice tailored to suit the circumstances of each case, while protecting the rights of the association and its members, without jeopardizing the public interest. This would also ensure that the process of adjudication is not denuded of its content and the decision ultimately rendered by the Tribunal is reached by it on all points in controversy after adjudication and not by mere acceptance of the opinion already formed by the Central Government."

45. There is sufficient evidence that has been led by the Central Government and the State of Tripura to the effect that both the associations have mobilized their cadres for escalating their secessionist, subversive and violent activities, sealed cover containing secret information has also been produced and has been perused by the Tribunal. They have propagated anti-national activities in association with forces inimical to India's sovereignty and integrity. Both the associations have repeatedly indulged in killing of

civilians, police and security forces personnel through illegal arms and ammunition. Under the circumstances, the Central Government has shown sufficient cause for confirming the declaration made under Section 3(1) of the Act as well as under Section 3(3) of the Act.

46. On a careful evaluation of the evidence produced and the arguments advanced, by both the Union of India and the State of Tripura, I find the testimony of the Government witnesses to be credible and reliable and can be safely acted upon for confirming the Notification dated 03.10.2009.

47. For the foregoing reasons, I am satisfied that there is sufficient cause for declaring both the NLFT and the ATTF and their factions as unlawful associations. This Tribunal, accordingly, confirms the declaration made by the Central Government vide notification dated 03.10.2009 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

March 25, 2010

[F. No: 11011/33/2009-NE-III]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.